Serial No. - 5771

Book No.- 1 / Deed No. - 4730

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 पाँच हजार रुपये

Rs.5000 FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

बिहार BIHAR

198270

Summary of Endorsement

This document was presented for registration on this Wednesday, the 23rd of February 2011 by Nirmal Singh.

A stamp duty of Rs. 29340/- and other fees of Rs. 779/- has been paid in it.

The document was found admissible. The names, photographs and fingerprints and signatures of the executants, and their identifier, who have admitted execution before me, are affixed on the reverse page.

The document has been registered as deed no. 4730 in Book No. 1, Volume No. 81 on pages from 170 to 180 and has been preserved in total 11 pages in C.D. No. 13 - Year 2011.

Date : 23/02/2011

Signature
(Ajay Krishna Mishra)
Registering Officer, Danapur

Serial No : 5771
Token No : 5502
Type & Status of Party

Deed No : 4733 of 2011
Name of Party

		Photo	Thumb	Index	Middle	Ring	Little
In Favour of	Samrendra Singh (M.Dir.)						
	Signature of Party						
Presented by Self	Rambabu Singh						
	Signature of Party						
Executed by	Rambabu Singh						
	Signature of Party						
Identifier	Mukesh Kumar						
	Signature of Party						



श्री राजबाबू सिंह पिता कृष्ण नारा. श्री. चन्द्रिका राय, निवासी ग्राम-अलावलपुर, पो०-[illegible] [illegible] जिला पटना, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] को [illegible] किया जाता है जिनको [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] है।

एवम्

गुप्तेश्वरी मल्टीकॉन प्रा0 लि0, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] कॉलोनी, [illegible] डी. पी. [illegible] [illegible] कॉलोनी, जिला पटना, द्वारा [illegible] निदेशक श्री [illegible] सिंह [illegible] श्री [illegible] सिंह, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] कॉलोनी, [illegible] डी. पी. [illegible]-पुरी कॉलोनी, जिला पटना, [illegible] किया जाता है।

[illegible]

[illegible]

गुप्तेश्वरी मल्टीकॉन प्रा0 लि0, [illegible] [illegible] कॉलोनी, [illegible] [illegible] कॉलोनी, जिला पटना, द्वारा [illegible] निदेशक श्री [illegible] सिंह [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] कॉलोनी, जिला पटना, [illegible]

[illegible]

विक्रेतागण द्वारा [illegible] की जाने वाली सम्पत्ति का पूर्ण विवरण :-

[illegible]

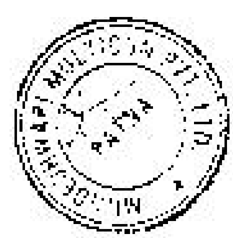
चौहद्दी

उत्तर	-	[illegible] देवी
दक्षिण	-	[illegible] सिंह
पूरब	-	पार्ट प्लॉट [illegible]
पश्चिम	-	[illegible] सिंह

सम्पत्ति का कुल सरकारी मूल्य मो० 14,62,000/- (चौदह लाख बासठ हजार रुपये) मात्र।

[illegible]

[illegible]



२. यह कि द्वितीय पक्ष [illegible] का अधिकार होगा :-

(क) यह कि [illegible] द्वितीय पक्ष किसी भी [illegible] को अपने हिस्से के [illegible] प्रतिशत हिस्से [illegible] के लिए [illegible] या [illegible] रखने के लिए [illegible] होगा। [illegible] प्रथम पक्ष अर्थात भूमिधरों के हिस्से पर किसी भी [illegible] [illegible] द्वितीय पक्ष [illegible] [illegible] अपने हिस्से [illegible] [illegible] नहीं है और न ही होगा।

(ख) [illegible] निर्माण के लिए द्वितीय पक्ष [illegible] [illegible] होगा।

[illegible]

[illegible]

5. यह कि फलस्वरूप [illegible] प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत हो जाने के पश्चात [illegible] किसी भी [illegible] [illegible] के बाद [illegible] [illegible] हो [illegible] विक्रेता [illegible]

6. यह कि फलस्वरूप [illegible] अपने हिस्से का [illegible] [illegible] [illegible] किसी [illegible] कोई [illegible] नहीं होगा।

7. यह कि फलस्वरूप [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] कोई भी [illegible] किसी भी प्रकार का [illegible] नहीं [illegible] होगा।

8. यह कि [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] किसी प्रकार का [illegible] नहीं है।

9. यह कि [illegible] [illegible] [illegible]

10. यह कि [illegible] [illegible] [illegible]

11. यह कि [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

12. यह कि द्वितीय पक्ष [illegible] के निर्देश के अनुसार [illegible] अपने [illegible] [illegible] [illegible] द्वितीय पक्ष के द्वारा [illegible] [illegible] नहीं करेगा।

13. यह कि द्वितीय पक्ष [illegible] [illegible] पूर्ण [illegible] [illegible] किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होगा।

14. यह कि [illegible] द्वितीय पक्ष [illegible] [illegible] द्वितीय पक्ष द्वारा [illegible] [illegible] [illegible] का निष्पादन [illegible] [illegible] द्वितीय पक्ष [illegible]

15. यह कि [illegible]

16. यह कि [illegible]

17. यह कि [illegible]



2. सुपर स्ट्रक्चर: आर0सी0सी0 फ्रेम
3. चिनाई कार्य: प्रथम श्रेणी का ईंट एवं सिमेन्ट मोर्टार में [illegible] (1:6)
4. छत: आर0सी0सी0 [illegible] (1:1½:3) [illegible]
[illegible]
5. फर्श: [illegible]
6. प्लास्टर: [illegible]
[illegible] POP/Distemper
7. दरवाजा: [illegible]
[illegible]
8. खिड़की: [illegible]
[illegible]
9. [illegible]
[illegible]
10. [illegible]
[illegible]
11. [illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]

MSD

[illegible]

[illegible]

[illegible]

PATNA

Endorsement of Certificate of Admissibility

Admissible under Rule 5 : duly stamped (or exempted from or does not require stamp duty) under the Indian Stamp Act, 1899, Schedule I or I A. No. 05, Also admissible under section 26(a) of the B. T. Act.

Stamp duty paid under Indian Stamp Act Rs. 29340 Amt. paid by N.J. Stamp Paper Rs. 5000

Act Stamp duty paid under Municipal Act Rs. Amt. paid through Bank Challan Rs. 25119

Registration Fee

FEE PAID

A1	0	C	0	H1b	0	Ka1	0	UR + Process Fee	Service Charge
A2	0	D	0	P2	0	K1b	0	UR	0
A9	0	DD	0	I	150	K1c	0	Proc. Fee	0 302
A10	0	I	250	J1	0	K2	0	Total	0
B	0	H1a	0	J2	0	L	0		
							0		
							0		
							0		
							25		
							54		
						TOTAL-	479		
							779		

Total amount paid (Reg. fee+U.R. Proc+Service Charge) in Rs

Registering Officer
Patna

Date : 23/02/2011

Endorsement under section 52

Presented for registration at Registration Office, Patna on Wednesday, 23rd February 2011 by Rambabu Singh S/O-Sri Chandrika Ray by profession Others. Status - Executant

23/02/2011

Registering Officer
Patna

Signature / L.T.I. of Presentant Date : 23/02/2011

Endorsement under section 58

Execution is admitted by those executants and identified by the persons Jonardan Kumar and Sita V sonn/daughter of S/O Hanshanker Yadav resident of Khajpura Patna whose current photographs fingerprints and signatures are affixed as such on back page pages of the instrument.

Registering Officer
Patna

Date : 23/02/2011

Endorsement of Certificate of Registration under section 60

Registered at Registration Office Patna in Book No. 1 Volume No. 81 on page no. 172 - 180 for the year 2011 and stored in CD Volume No CD-13 year 2011 The document no. is printed on the front Page of the document

Registering Officer

Date : 23/02/2011

Token No. 5853 Year - 2011 Sl.No. 5771 SCORE Ver. 2.1 Deed No. 4730

Serial No. - 25579 Book No.- 1 / Deed No. - 21214

Summary of Endorsement

This document was presented for registration on this Friday, the 12th of August 2011 by Sant Lal Singh.

A stamp duty of Rs. 76907/- and other fees of Rs. 829/- has been paid in it.

The document was found admissible. Thereon photographs and fingerprints and signatures of the executants and their identifier, who have admitted execution before me, are affixed on the reverse page.

The document has been registered as deed no. 21214 in Book No. 1, Volume No. 367 on pages from 180 to 193 and has been preserved in total [illegible] pages in C.D. No. 567, Year 2011.

Signature with date
(Ashok Kumar Thakur)
Registering Officer, Patna

Date : 12/08/2011 Token No. : 26133 / 2011

MUNDESHWARI MULTICON (P) LTD.
Managing Director

विकास कार्य एकरारनामा
(Development Agreement)

यह एकरारनामा आज दिनांक 12.08.2011 को निम्नांकित पक्षों के बीच निष्पादित किया जाता है।

श्री संत लाल सिंह पिता का नाम श्री चन्द्रिका राय, निवासी ग्राम- जलालपुर, पोस्ट सहारनगर (अनौत), थाना रुपसपुर, जिला पटना, (कार्यालय नामांकित (प्रथम पक्ष) "भूखण्ड स्वामी" के अन्तर्गत उन सभी सदस्यों को सम्मिलित किया जाता है जिनका सम्बंध भूखण्ड, स्वामित्व के भूखण्ड लिखित प्रतिनिधि अधिकृत सदस्य/एजेन्ट इत्यादिकारीगण एवं प्रधानकीय प्रतिनिधि सम्मिलित है।

Serial No : 26579
Token No : 26133
Type & Status of Party

Deed No : 21214
of 2011
Name of Party

Photo	Thumb	Index	Middle	Ring

In Favour of *Samrendra Singh (M.-Dir.)*

12.8.11

Signature of Party

Presented by *Sampat Singh*

Self

12.8.11

Signature of Party

Executed by *Sant Lal Singh*

12.8.11

Signature of Party

Identifier *Ravirajan Kumar*

Ravi Ranjan Kumar

12/8/11

Signature of Party

(2)

एवं

मुन्देश्वरी मल्टीकॉन प्रा. लि., फ्लैट नं.- जी 1, ग्राउण्ड फ्लोर,बम्हौर पैलेस, बुद्धा कॉलोनी, पास्ट जी.पी.ओ. थाना बुद्धा कॉलोनी, जिला- पटना, द्वारा प्रबंध निदेशक श्री **समरेन्द्र सिंह** वल्द श्री सरयु सिंह, निवासी फ्लैट नं.-501, तालुका अपार्टमेन्ट, सरयु कॉम्पलेक्स, बुद्धा कॉलोनी, पोस्ट-जी.पी.ओ. थाना- बुद्धा कॉलोनी, जिला- पटना, भारतीय नागरिक। (द्वितीय पक्ष) यहाँ "विकासकर्ता" द्वितीय पक्ष से अभिप्राय यह है कि उनके उत्तराधिकारी, कार्यालाव उत्तराधिकारी एवं प्राधिकृत एजेन्ट एवं यत्रित उत्तराधिकारी से है, जिनका सम्बंध प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से द्वितीय पक्ष 'विकासकर्ता से है, सम्मिलित किया जाता है।

यह कि उपर वर्णित प्रथम पक्ष भुखण्ड स्वमी है जो कि नीचे वर्णित भुखण्ड जिसका रकबा-4 कट्ठा 10 धुर (चार कट्ठा दस धुर) यानी 14.0625 डिसमील मालिक मुस्तकिल निर्विवाद रूप से श्री संत लाल सिंह पिता का नाम श्री चन्द्रिका राय, निवासी ग्राम- जलालपुर, पोस्ट- सहायनगर, (धनौत), थाना- रूपसपुर, जिला पटना, भारतीय नागरिक।

..... प्रथम पक्ष/जमीन मालिक

मुन्देश्वरी मल्टीकॉन प्रा. लि., फ्लैट नं. जी 1, ग्राउण्ड फ्लोर, सरयू अपार्टमेन्ट, बुद्धा कॉलोनी, पोस्ट- जी.पी.ओ. थाना- बुद्धा कॉलोनी, जिला- पटना, द्वारा प्रबंध निदेशक श्री समरेन्द्र सिंह वल्द श्री सरयु सिंह, निवासी फ्लैट नं. 501, तालुका अपार्टमेन्ट, सरयु कॉम्पलेक्स, बुद्धा कॉलोनी, पोस्ट-जी.पी.ओ. थाना- बुद्धा कॉलोनी, जिला- पटना, भारतीय नागरिक।

..... द्वितीय पक्ष/डेवलपर्स

विकासनामा एवंरारनामा कि जाने वाली सम्पति का पूर्ण विवरण:-

हमनी यो तमाजी रकबा 4 कट्ठा 10 धुर (चार कट्ठा दस धुर) यानी 14.0625 डिसमील एगो अवस्थित बाके महल्ला- अभिमन्यु नगर, मौजा- जलालपुर, सर्वे थाना- दानापुर, सब रजिस्ट्री ऑफिस दानापुर, के सदर

MUNDESHWARI MULTICON (P) LTD.
Managing Director

रजिस्ट्री ऑफिस वो जिला- पटना है जिसका थाना नं.-22 (बाईस), थाना कोड नं.-126, तौजी नं.-5523, खाता नं.-140, वो सर्वे प्लौट नं.- 318 का अंश है भु-शुल्क संग्रह बिहार सरकार द्वारा अंचलाधिकारी दानापुर को 15% सलाना जमाबंदी नं. ..... से देय है। उपरोक्त एराजी पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकार के अंदर है। जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है:-

चौहद्दी

उत्तर :- रामबाबु सिंह
दक्षिण : बाकी प्लौट नं.- 318 का अंश
पुरब : पर्ट प्लौट नं.- 318 का अंश
पश्चिम :- प्लौट नं.- 319

नोट : उपर्युक्त सम्पति वर्ष 2011-12 के न्युनतम दर पंजी के **कोड नं. 126, जोन- 3,** पर अंकित है, जिसका वर्त्तमान बाजार मूल्य **रु. 38,25,000/-** (अड़तीस लाख पच्चीस हजार) रूपया है।

लेख्य-संदर्भ

घोषित यह है कि उपरोक्त वर्णित सम्पति प्रथम पक्ष कि खानदानी वो पौरुखी सम्पति है जो सर्व खतियान में प्रथम पक्ष के पूर्वज मुलहन चल्द रामनाथ के नाम से दर्ज है। जिसपर पर मुलहन अपने जीवन काल तक काबिज दाखिल वो मालिक मुस्तकिल रहे है बाद मुलहन अपने पीछे अपने दो पुत्र महावीर राय वो सहबीर राय को छोड़कर स्वर्गवास कर गये उनके स्वर्गवास कर जाने के बाद अपने पिता के द्वारा छोड़े गये सभी चल अचल सम्पति के मालिक उनके दोनों पुत्रगण हुए वो रहते चले आये। महावीर राय के एकमात्र पुत्र देवशरण राय हुए एवं सहबीर राय के दो पुत्र सुखदेव राय वो भजन राय हुये। देवशरण राय के दो पुत्र चन्द्रिका राय एवं चन्द्रमा राय हुए चन्द्रिका राय के दो पुत्र संतलाल सिंह एवं रामबाबु सिंह हुये जिनका रकवा 28.25 डिसमील है। जिसका आधा 14.125 हुआ जिसका विकासनामा एकरारनामा कर रहे है। जो वर्तमान में सभी फरीकैन एक आपसी खॉनगी बंटवारा के तहत अलग-अलग हिस्से में बंटकर रहे है वो है तथा सम्पति

MUNDESHWARI MULTICOM (P) LTD.
Managing Director

इनके शांतिपूर्वक दखल कब्जा में चला आ रहा है तथा सम्पत्ति संबंधित विवाद दूसरे के साथ नहीं है तथा जगाबंदी नं.- ..... से मालगुजारी का भुगतान अपने नाम पर करते चले आ रहे हैं।

यह कि भूमिकास्क द्वितीय पक्ष, जमीन मालिकों प्रथम पक्ष के पास उपरोक्त भूमि पर बहुमंजिला भवन का विकास करने के लिए आग्रह किये जिसे प्रथम पक्ष जमीन मालिकों ने मानकर अपनी सहमति दी. इसके उपरान्त बने हुए बहुमंजिला भवन पर 50 प्रतिशत हिस्सा प्रथम पक्ष जमीन मालिक को मिलना तय हुआ शेष 50 प्रतिशत पर द्वितीय पक्ष विकासकर्त्ता का हिस्सा मिलने का आपस में तय हुआ एवं द्वितीय पक्ष, प्रथम पक्ष की जमीन पर अपने खर्चे से विकास प्राधिकरण द्वारा मान्य, स्वीकृत नक्शे के अनुरूप भवन का निर्माण कराये एवं बदले में निर्मित व अनिर्मित क्षेत्रों का 50 प्रतिशत भाग अपने पास या तो रख ले, या तो जो चाहे सो करे, उससे प्रथम पक्ष को कोई उज्र व एतराज नहीं होगा। उस पर प्रथम पक्ष ने अपनी सहमति प्रदान करते हुए द्वितीय पक्ष के इस्ते दुआ को कबुल व मंजुर कर लिया। लेहाजा पक्षकार स्वस्थ चित्त प्रसन्न मन, बिना किसी दबाव, डराव वो नाजायज के प्रथम पक्ष जमीन मालिकों वा द्वितीय पक्ष डेवलपर अपने वारिसान व कायम मुकामनों के साथ अग्रलिखित शर्तों व नियम के आधार पर एक दुसरे को निम्नलिखित शर्तों व शरायतों से पाबन्द करते व होते है।

1. यह कि प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष भवन निर्माता फर्म को अपने मालिकाना हक के प्लॉट को विकसित कर भवन निर्माण करने की अनुमति देते हुए प्लॉट मजकुर जिसका विवरण इस दिलेख मे दिया जा रहा है, को द्वितीय पक्ष के हवाले कर रहे है। द्वितीय पक्ष प्लॉट मजकुर पर नियम कानून मुताबिक पटना क्षेत्रिय विकास प्राधिकार (लिमिटेड) वर्त्तमान-पटना म्यूनिसपल कॉरपोरेशन से नक्शा स्वीकृत के तहत अच्छे से अच्छा भवन का निर्माण करेगा, जिससे प्रथम पक्ष को पुरी सहमति है।

2. यह कि द्वितीय पक्ष अग्रलिखित कार्यो का

MONDESHWARI MULTICON (P) LTD.
Managing Director

जिम्मेदार व हकदार होगा:

(अ) यह कि विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष किसी भी वित्तीय संस्थान से अपने हिस्से के 50 प्रतिशत हिस्से पर (फ्लैटों पर) लोन लेने के लिए, बंधक या गिरवी रखने के लिए स्वतंत्र होंगे परंतु प्रथम पक्ष जमीन मालिकों के हिस्से पर किसी भी तरह का ऋण लेने या बंधक रखने का अधिकार विकासकर्त्ता को नहीं होगा। द्वितीय पक्ष भवन निर्माण में लगने वाले सम्पूर्ण रकम को स्वयं लगावें या किसी वित्तीय संस्थान से वित्त पोषित करा लेवें, इसके लिए प्रथम पक्ष अपनी स्वीकृति प्रदान करते है तथा इस के लिये द्वितीय पक्ष अपने हिस्से के फ्लैटों को बंधक रखकर लोन प्राप्त कर सकते है। परन्तु यदि द्वितीय पक्ष वित्तीय संस्थान के लोन को समय से अदा करने में असमर्थ रहेंगे या किसी भी प्रकार का कोई अवैधानिक कार्य करते है, तो ऐसी स्थिति में उक्त वित्तीय संस्था को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष के स्वयं के जर व जायदाद व उनके हिस्से के उपरोक्त मकान में आने वाली जायदाद से वसूली करें। इससे प्रथम पक्ष का कोई वास्ता व सरोकार नहीं है और न होगा।

(ब) भवन निर्माण के लिए द्वितीय पक्ष अपनी तरफ से पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण, पटना नगर निगम, जल संस्थान, विद्युत विभाग, आदि विभागों से स्वयं के खर्च पर सम्पूर्ण कानूनी कार्यवाही आदि निपादित करना, जिसकी पूरी जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी।

3. यह कि निर्माण कार्य में द्वितीय पक्ष सम्पूर्ण रकम लगावेगा व भवन विकसित सामग्री आदि से प्रथम पक्ष का कोई भी वास्ता व सरोकार न होगा तथा उपरोक्त कार्य के एवज में 50 प्रतिशत निर्मित व अनिर्मित क्षेत्रफल प्राप्त करने का एकमात्र द्वितीय पक्ष होगा एवं उक्त निर्मित भवन का निर्मित व अनिर्मित क्षेत्रफल का 50 प्रतिशत हिस्सा प्रथम पक्ष पाने का हकदार होगी।

4. यह कि, निर्मित व अनिर्मित क्षेत्रफल का विभाजन प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष के बीच 50 प्रतिशत व 50 प्रतिशत के अनुक्रम में होगा। जिसके अनुसार प्रथम पक्ष

MUNDESHWARI MULTICON (P) LTD.
Managing Director

पक्ष को देय होगा उस भाग को द्वितीय पक्ष वाल पुट्टी, बिजली व फर्शगत कागशियल मार्बल, सीवर लाईन, खिड़की, दरवाजा सभी फिनिशिंग के साथ कराकर के प्रथम पक्ष पक्ष हवाले करेगा एवं निर्माण जिस अनुपात मे निर्मित होता जायेगा द्वितीय पक्ष उस अनुपात में प्रथम पक्ष का कब्जा दखल कराता जायेगा।

12. यह कि द्वितीय पक्ष का अनुबंध पत्र के विलेख के अनुसार प्राप्त अपने अंशो को अपने ग्राहकों के हक में अन्तारण जिस अनुपात में करेगा उसी अनुपात में प्रथम पक्ष के हक का निर्माण कराकर सर्वप्रथम प्रथम पक्ष को अन्तारित करेगा। द्वितीय पक्ष के द्वारा उपरोक्तत शर्तो के तहत किये जाने वाले सम्पत्ति के अन्तरण के तहत अन्तरण पर प्रथम पक्ष किसी प्रकार का हस्तक्षेप नही करेगे।

13. यह कि द्वितीय पक्ष निर्माण कार्य के सम्पादनार्थ अपनी तरफ से मजदुर इन्जीनियर विशेष ठीकेदार, सह पार्टनर आदि नियुक्त कर, उससे कार्य कराने का पूर्ण अधिकार रखते है, जिसमें प्रथम पक्ष को कोई हस्तक्षेप करने का अधिकार नही होगा।

14. यह कि यदि द्वितीय पक्ष द्वारा निर्माण कार्य कराये जाने के दौरान प्रथम पक्ष की तरफ से कोई अन्य दावेदार उत्पन्न होकर किसी प्रकार की कानूनी अड़चन पैदा कर दे, जिस कारण द्वितीय पक्ष द्वारा कार्य पूर्ण करना सम्भव न हो सके या उस वक्त के कांबिज हकदारों को किसी प्रकार की असुविधा हो या कांबिज हकदारों से उनका हक निकल जाये, ऐसी परिस्थिति मे प्रथम पक्ष की जिम्मेदारी होगी कि वह उत्पन्न विवादित मामलें को अपने हक मे से या वो ले देकर सुलह समझौता कर विवाद का निस्तारण करे अन्यथा उस वक्त के कांबिज होने वाले हकदारो को क्षति पूर्ति बाजार दर के हिसाब से करे, इससे द्वितीय पक्ष का कोई वास्ता सरोकार न होगा।

15. यह कि मौजूदा अभिलेख पश्चकार के बीच समान्य अनुबंध के रूप मे तहरीर हो रहा है, जो [illegible] के बारिसानों पर कानुन मुताबिक बाध्यकारी होगा।

MUNDESHWARI MULTICON (P) LTD.
Managing Director

16. यह कि प्रथम पक्ष अपने अंश के 50 प्रतिशत निर्मित भवन का पानी, बिजली, कार्य इत्यादि निर्माण के पश्चात् स्वयं मैनटेन्नस करेगें एवं द्वितीय पक्ष अपने 50 प्रतिशत हक के भाग का मैनटेनेंस का खर्च स्वयं वहन करेगा।

17. यह कि भवन निर्माण में लगाने वाले समस्त खर्चों का लेख-जोखा एवं नियुक्ति का अधिकार द्वितीय पक्ष फर्म रखेगी। इसमें प्रथम पक्ष का कोई वास्ता व सरोकार नही होगा और न तो निर्माण सेस सम्पबंधित खर्च का प्रथम पक्ष से कोई सरोकार व अधिकार होगा।

18. यह कि प्रस्तावित भवन के तलों व फ्लैटों के अतिरिक्त उभय पक्ष, आपसी सहमति से किसी अन्य तल का निर्माण करते है, तो पटना विकास प्राधिकारण व अन्य संस्थानों को आदद उस तल का तामीर आदि खर्च द्वितीय पक्ष स्वयं वहन करेगे तथा अतिरिक्त फ्लोर पर प्रथम पक्ष का भी 50 प्रतिशत के अनुपात में हिस्सा होगा। अन्य तल पर प्रथम पक्ष भी बराबर बराबर हिस्सा होगा।

19. यह कि बिल्डिंग निर्माण कि समयावधि इस विलेख पर हस्ताक्षर के दिन से 3 साल 6 माह तथा ग्रेस समय सीमा 6 माह का होगा। अगर समय पर निर्माण कार्य पूरा नही होता है तो भवन निर्माता जमीन मालिक को मो. 5,000/- (पाँच हजार) रुपये मात्र प्रतिमाह प्रति फ्लैट की दर से Hand Over तक देय होगा। इसके बाद 9 माह कि अवधि में अगर निर्माण कार्य पूरा नही होता है तो वैसी परिस्थिति में इस समयावधि की समाप्ति के बाद जमीन मालिक भवन निर्माता कि लगी पूँजी को जब्त कर अपनी जमीन वापस ले सकेंगे।

20. यह कि प्रस्तावित भवन निर्माण के पश्चात जब तक प्रस्तावित भवन के भागीदार बैनामादार आदि हाउसिंग सोसाईटी के तहत अपनी एक सोसाईटी का निर्माण कर प्रस्तावित बहुमंजिला ईमारत के बाहरी रख-रखाव, कॉमन पैसेज, सूना पानी, दरबान आदि की व्यवस्था [illegible] सोसाईटी नहीं संभाल लेती तब तक अधिकारण

MUNDESHWARI MULTICOM (P) LTD.
Managing Director

संयुक्त रूप से उपरोक्त सोसाईटी नही संभाल लेती तब तक पक्षकारगण संयुक्त रूप से उपरोक्त जिम्मेदारियों का निर्वहन सोसाईटी अधिनियम के प्राविधानों के तहत करते रहेगें।

21. यह कि विकासकर्ता पटना नगर निगम से नक्शा पास कराने के बाद कार्य शुरू करने के पहले इसकी जानकारी लिखित रूप में प्रथम पक्ष जमीन-मालिकों को देगें तथा निर्माण में युक्त होने वाले समाग्रियों के गुणवता को देखने और जाँचने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा, जिससे कि भवन के निर्माण गुणवत्ता में कमी न हो और समय समय पर अपना सलाह प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष को देते रहे साथ ही गुणवता में कमी होने पर कार्य को रोकने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा। इसमें द्वितीय पक्ष को कोई आपत्ति नही होगी। इसपर दोनो पक्ष सहमत है।

22. यह कि विकासक को जमीन मालिक ने अनुसूची-1 में वर्णित जमीन के संबंध में यह विश्वास दिलाया कि जमीन हर प्रकार से एक साफ एवं स्वत्व, दोष तथा ऋण भार से मुक्त है। यदि भविष्य मे किसी भी प्रकार का कोई स्वत्व, दोष या ऋण भर पाया जावेगा तो उसकी जिम्मेवारी जमीन मालिक पर होगी और उसके चलते होने वाले हर्जा-खर्च तथा क्षति-पूर्ति भुगतान करने का दायित्व जमीन मालिक को रहेगा।

23. यह कि मालिक सहमत हैं और बचनबद्ध है कि वे बिहार अपार्टमेन्ट स्वामित्व अधिनियम 2006 की धारा 5 (1) एवं 5 (2) तथा अन्य सभी प्रावधानों एवं नियमों को पालन करेंगे और अधिनियम के अनुरूप भवन निर्माण पूर्ण होने के बाद विकासक/संप्रवर्तक एवं भू-स्वामी अपने-अपने हिस्से के निस्पेक्ष स्वामी होंगे तथा वे अपने-अपने हिस्से को पृथक् रुप से बेचने/अन्तरण करने के हकदार होंगे और उसका नियमानुकुल सक्षम निबंधन कार्यालय में निबंधन करेंगे जिसमें उक्त अधिनियम एवं नियम का पालन किया जावेगा. विकासक अपने हिस्से का क्षेत्र बंधक रखकर ऋण ले सकेंगे और विक्रय के लिए एकरारनामा करेंगे। जिसमें जमीन

MUNDESHWARI MULTICON (P) LTD
Managing Director

मालिक के हिस्से का क्षेत्र सम्मिलित नही रहेगा।

24. यह कि एकारनामा के पश्चात् बिल्डिंग निर्माण का कार्य छह माह के अन्दर शुरू नही करते है तो यह एकारनामा स्वतः रद्द हो जायेगा और इस फ्लौर पर विकासक/डेवलपर को कोई अधिकार नही रहेगा और जमीन मालिक किसी के साथ एकारनामा करने या स्वयं उपयोग करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

25. यह कि जमीन मालिक के हिस्से का फ्लौर प्रथम, द्वितीय तल्ला एवं तृतीय तल्ला पर रहेगा।

26. यह कि उपर्युक्त जमीन पर बनने वाले भवन का नाम जमीन मालिक अपनी सहमती से रखेंगे।

एनेक्चर

भुस्वामी का हिस्सा 50 प्रतिशत सुपर निर्मित एरिया विवरण:

भुस्वामी के हिस्से का संक्षिप्त आर्टिकेक्चरल एवं स्ट्रक्चरल का विवरण:-

1. फाउंडेशन :- आर.सी.सी. पाईलिंग डिजाईन के अनुसार
2. स्ट्रक्चर :- आर.आर.सी फ्रेम
3. सिविल वर्क :- प्रथम श्रेणी का ईट वर्क सिमेन्ट मोटर के साथ (1:5)
4. छत :- आर.आर.सी. (एम-20), (1:1/2:3) नोट:- (यह स्ट्रक्चर इंजीनियर कि डिजाईन के अनुसार होना चाहिए
5. फर्श :- सफेद मार्बल जो कि दो फीट/दो फीट से कम नही होगा।
6. प्लास्टर :- सिमेन्ट मोर्टार सिलिंग (1:4) दिवाल (1:6) और सिलिंग एवं दिवाल पर डिस्टेम्पर पी.ओ.पी.।
7. दरवाजा :- सखुआ लकड़ी बल चौखट 32 एम.एम. मोटा वाटर प्रुफ टरमाईट प्रुफ फैक्ट्री से निर्मित फ्लश डोर।
8. खिड़की :- लकड़ी का चौखट लकड़ी के खिड़की आधा पल्ला शिशा के साथ (अलमुनियम खिड़की)

MUNDESHWARI MULTICON (P) LTD.
Managing Director 12.8.11

MUNDESHWARI MULTICON PVT. LTD. PATNA

9. रसोई घर :- ग्रेनाईट कुकिंग प्लेटफार्म स्टील सिंक 24"×10"×9" तथा दिवार में दो फीट रंगीन टाईल्स डाईनिंग रूप में वाश बेसिन।

10. बाथरूम :- ठंडा गर्म कनेक्शन गीजर कनेक्शन सात फीट दिवाल में ग्लेज (स्पार्टेक) टाईल्स फर्श मार्बल।

11. जेनरेटर :- साईलेन्ट जनरेटर, केबल, प्रत्येक फ्लैट में इलेक्ट्रीसीटी कनेक्शन. (Concealed wiring in P.V.C. and all fittings of 1st quality) ट्रान्सफॉरमर, जनरेटर, लिफ्ट, इंटरकॉम एवं सबमर्सिबल पम्प इत्यादि का खर्च भवन निर्माता वहन करेंगे।

यह कि यह करारनामा अपनी पूर्ण स्वस्थ मानसिक स्थिति में सोच-समझकर निम्नलिखित गवाहों के समक्ष लिख दिया कि समय पर काम आवे एवं प्रमाण रहे।

1. Ravi Ranjan Kumar
S/o Sant Balsingh
Vill- Jalalpur
P.O- Shaynagar
P.S- Rupaspur
Dist- Patna 12/8/11

2. [illegible]
Pita [illegible]
Vill- Kalyanpur Hilsa Patna
Thana - Ekangarsarai
12/8/2011

पथम पक्ष का हस्ताक्षर

MUNDESHWARI MULTICON (P) LTD.
Managing Director

द्वितीय पक्ष का हस्ताक्षर

प्रारूप तैयार किया।

मुद्रित किया:-

12/8/2011
समाहरणालय अधिवक्ता संघ,
पटना

12/8/2011
जि.ए.(अनि.) सम.न्या.एवं अपर
समाहरणालय अधिवक्ता संघ,
पटना

Endorsement of Certificate of Admissibility

Admissible under Rule 5 : duly stamped (not chargeable) / exempted from or does not require stamp duty) under the Indian Stamp Act, 1899, Schedule 1 or 1-A, No. [illegible] admissible under section 26(a) of the B. T. Act.

Stamp duty paid : Rs. 76600 Amt. paid by N.J. Stamp Paper - Rs. 0

Addl. Stamp duty paid under Act Rs. Addl. paid through Bank Challan - Rs. 77429

[illegible] Fee LLR + Process Fee Service Charge

0 H1b	0 Ka1	0 Ta	0	LLR	0	
0 H2	0 K1b	0 La	0	Proc. Fee	0	350
0 I	150 K1c	0 Mb	25	Total-	0	
250 J1	0 K2	0 Na	54			
0 J2	0 Li	0				
		TOTAL-	479			

[illegible] (Reg. fee+LLR, Proc+Service Charge) in Rs 829

[illegible]/2011

Registering Officer
Patna

Endorsement under section 52

Presented for registration at Registration Office Patna through Friday, 12th August 2011 by Sant Lal Singh S/O Sri Chandrika Rai by profession Others. Status = Executant

Signature / L.T.I. of Presentant Date : 12/08/2011

Registering Officer
Patna

Endorsement under section 58

Execution is admitted by those executants and identified by the person ; identified by Ravi ranjan Kumar aged Sex M son/daughter of S/O Santlal Singh resident of Jalalpur Patna ; whose names, photographs, fingerprints and signatures are affixed as such on back page / pages of the instrument

Registering Officer
Patna

Date : 12/08/2011

Endorsement of Certificate of Registration under section 60

Registered at Registration Office Patna in Book No. 1 Volume No. 367 on page no. 180 - 193 for the year 2011 and stored in CD Volume No.CD-56 year 2011. The document no. is printed on the front Page of the document.

Registering Officer

Date : 12/08/2011

Token No.26133 Year - 2011 Sl.No. 25579 SCORE Ver. 2.1 Deed No. 21214

Serial No. - 32519

Book No. - 1 / Deed No. - 27476



बिहार BIHAR

Summary of Endorsement

This document was presented for registration on this Friday, the 19th of November 2010 by Shankar

Stamp duty of Rs. 225100/- and other fees of Rs. 773/- has been paid in c

The document was found admissible. The names, photographs and fingerprints and signatures of the executants and their identifiers who have admitted execution before me are affixed on the reverse page

The document has been registered as deed No. 27476 in Book No. 1, Volume No. 443 on pages from 570 to 581 and has been preserved in total 12 pages. Thumb No. 69 / Year 2010

SCANNED

Date: 19/11/2010

Token No. 32780 / 2010

Registering Officer Patna

Serial No : 32519
Token No : 32769
Type & Status of Party

Deed No : 7476
of 2010
Name of Party

		Photo	Thumb	Index	Middle	Ring	Little
In Favour of	Samrendra Singh (M.-Dir.)						
	Signature of Party						
Presented by Self	Shankar Prasad						
	Signature of Party						
Executed by	Ramswaroop Rai						
	Signature of Party						
Executed by	Bhorik Rai						
	Signature of Party						
Executed by	Shankar Prasad						
	Signature of Party						
Executed by	Rajendra Rai @ Sohrai Rai						
	Signature of Party						
Executed by	Chand Deep Rai						
	Signature of Party						
Executed by	Dharmendra Kumar						
	Signature of Party						

(1) श्री शंकर प्रसाद } वल्दान
(2) श्री रमेन्द्र कुमार } श्री चन्द्रमणि राय,
(3) श्री शोरीफ खान } वल्दान
(4) श्री ~~चन्द्रदीप राय~~ श्री सुखदेव राय,
(5) श्री रामसकल राय } वल्दान
(6) श्री राजेन्द्र राय एवं शोभाई राय } श्री मुंशल राय,

सभी निवासी ग्राम-मलाहपुर पोस्ट-रामलखन चौरसिया, थाना-
थानापर, जिला-पटना अस्तीय लागरेका। (प्रथम एवं) [illegible]
स्थानों से गिरफ्तार उन सभी चतुरों को, जिनकी [illegible]
गया है जिनका सम्बन्ध मुखण्ड स्वामी से मुकदमे विषय
प्रतिलिपि वादपत्र/याचिकृत जोल्द-[illegible]
परमसकीय प्रतिलिपि सम्मिलित है।

[illegible]

मुन्देश्वरी-मल्टीकॉम प्रा० लि०, [illegible]
थाना एलोर, तकिर पैलेस, बुद्धा कॉलोनी, पोस्ट-बी. ए. [illegible]
मलाह-बुद्धा कॉलोनी, जिला-पटना, द्वारा [illegible]
श्री रामचन्द्र सिंह पत्र श्री सत्यु सिंह, जिलाधी-[illegible]
मालुका अपार्टमेन्ट, [illegible] बुद्धा कॉलोनी, पोस्ट-
बी. ए. [illegible] बुद्धा कॉलोनी, जिला-पटना, [illegible]
[illegible] यहाँ "[illegible]" [illegible]
के उनके अधिकारी, कार्यालय उपाधिकारी एवं [illegible]
एजेन्ट एवं [illegible] से है, जिनका [illegible]
[illegible] से है, सम्मिलित किये
जाते हैं।

1. यह कि [illegible]
तो कि [illegible]
[illegible]
[illegible]
श्री [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

मुन्देश्वरी मल्टीकॉम प्रा० लि०, [illegible]
थाना एलोर, [illegible], बुद्धा कॉलोनी, पोस्ट-बी. ए. [illegible]
थाना बुद्धा कॉलोनी, जिला-पटना, [illegible]
श्री रामचन्द्र सिंह पत्र श्री सत्यु सिंह, [illegible]
मालुका अपार्टमेन्ट, [illegible] बुद्धा कॉलोनी, [illegible]
बी. ए. [illegible] बुद्धा कॉलोनी, जिला-पटना, [illegible]

[illegible]

विक्रयनामा हकर्दलिगा कि जाने वाली सम्पत्ति का पूर्ण विवरण :-

भूमि की तादादी रकबा 76.75 डिसमील (छिहत्तर दशमलव सात पाँच डिसमील) जमीन अवस्थित [illegible] [illegible], मौजा-जमालपुर, थाना-दानापुर, सब रजिस्ट्री ऑफिस दानापुर की सदर रजिस्ट्री ऑफिस व जिला-पटना है। जिसका थाना नं0-22 (बाईस), थाना कोड नं0-126, तौजी नं0-5533 (पाँच हजार पाँच सौ तैंतीस), खाता नं0-140 [illegible] खेसरा सर्वे प्लॉट नं0 318 (तीन सौ अठारह) है। [illegible] संग्रह बिहार सरकार द्वारा अंचलाधिकारी दानापुर को [illegible] सालाना जमाबंदी नं0 [illegible] [illegible] [illegible] वृहत्तर पटना नगर क्षेत्र विकास प्राधिकार के अंदर है। जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है

चौहद्दी

उत्तर :- [illegible]

दक्षिण :- [illegible]

पूरब :- [illegible]

पश्चिम :- रामपुर [illegible]

सम्पत्ति का कुल सरकारी मूल्य मो0 1,42,48,000/- (एक करोड़ बेयालीस लाख अड़तालीस हजार रूपये) मात्र।

लेख्य-सादगी

हकियत यह है कि उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति [illegible] [illegible] कि [illegible] की मौरूसी सम्पत्ति है। जो [illegible] [illegible] प्रथम पक्ष के पूर्वज [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] है। जिसपर [illegible] अपने जीवन काल [illegible] [illegible] [illegible] के मालिक [illegible] रहे हैं बाद [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] दो पुत्र [illegible] [illegible] को [illegible] राय [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] बाद उनकी [illegible] [illegible] आने के बाद अपने पिता के [illegible] [illegible] बाद [illegible] [illegible] सम्पत्ति के मालिक [illegible] [illegible] [illegible] हुए [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] राय [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] पुत्र [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] हुये। [illegible] राय के [illegible] पुत्र [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] हुए एवं [illegible] राय के तीन पुत्र [illegible] [illegible] [illegible] एवं [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] जमीन पूर्व में ही आपस में बटवारा कर चुके हैं [illegible] [illegible] [illegible] के [illegible] में [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] एवं [illegible] राय; का रकबा-26.25 डिसमील है [illegible] [illegible] राय के दो पुत्र [illegible] एवं [illegible] [illegible] [illegible] हुये जिनका रकबा-26.25 डिसमील है एवं [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] हुये जिनका रकबा-23.25 डिसमील है [illegible] [illegible] [illegible] के दो पुत्र [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] हुये जिनका रकबा-24.25 डिसमील है। जो [illegible] सम्पत्ति [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

NUNDESHWARI MULTICON PVT. LTD.
Managing Director

NUNDESHWARI MULTICON PVT. LTD.

सही है तथा सभी फरीकैन एक साथ मिलकर कुल रकबा 76.75 डिसमील का विकासालास एकटरलाक लिमि. रहे है तथा जमाबंदी नं0-...M. से मालगुजारी का भुगतान चला-आते आज पर होती चले आ रहे है।

यह कि मुविकासक द्वितीय पक्ष उपरोक्त आलेखों प्रथम पक्ष के पास उपरोक्त भूमि पर बहुमंजिला भवन का विकास करने के लिए आकर किये जिसे प्रथम पक्ष जमीन मालिकों ने मानकर आपसी सहमति दी। इसके उपरान्त तय हुई बहुमंजिला भवन पर 50 प्रतिशत का हिस्सा प्रथम पक्ष जमीन मालिकों को मिलना तय हुआ तथा शेष 50 प्रतिशत पर द्वितीय पक्ष विकासकर्ता का हिस्सा मिलने का आपस में तय हुआ एवं द्वितीय पक्ष, प्रथम पक्ष की जमीन पर उपरें स्वयं से निर्माण प्राधिकरण द्वारा मान्य स्वीकृत नक्शे के अनुसार भवन का निर्माण करायें एवं नक्शे में निर्मित व अनिर्मित होने का 50 प्रतिशत [illegible] आपने पास रखे तो [illegible] करे. इसमें प्रथम पक्ष [illegible] 3.4 [illegible] 3.5 पर प्रथम पक्ष ने अपनी सहमती प्रकट करते हुए द्वितीय पक्ष के उपरे कुल का कतुल व अतुल का निर्माण कार्य सम्पन्न कराकर विक्रय प्रबन्धी मज. बिना किसी आपत्ति के [illegible] के प्रथम पक्ष जमीन मालिकों व द्वितीय पक्ष विकासकर्ता आपसे तारिसाली व कायम हुकादारी के साथ अविभाज्य खण्ड व निर्माण के आधार पर एक दूसरे को हिस्सेदारी देने व पावरदारी से सम्बन्ध करते व होते है:

1. यह कि प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष [illegible] अपने मालिकाना हक के प्लाट को विकसित कर भवन निर्माण कराने की अनुमति देते हुए प्लाट मालपुर निर्माण निर्माण [illegible] दिया जा रहा है. को द्वितीय पक्ष [illegible] पक्ष द्वितीय पक्ष प्लाट मालपुर [illegible] मुताबिक भवन बनाने निर्माण प्राधिकार निर्माण [illegible] अनुमिसलान नक्शानवीस से भवन [illegible] अच्छा भवन का निर्माण करेगा जिसमें प्रथम पक्ष [illegible] सहमति है।

2. यह कि द्वितीय पक्ष अग्रलिखित [illegible] हकदार होगा:

(क) यह कि विकासकर्ता द्वितीय पक्ष निर्माणकर्ता निर्माण [illegible] से अपने हिस्से के 50 प्रतिशत हिस्से पर [illegible] के लिए, बेचने या गिरवी रखने के लिए स्वतन्त्र होगा प्रतिशत प्रथम जमीन मालिकों के हिस्से पर किसी को [illegible] अपने पास रखने का अधिकार विकासकर्ता को [illegible] द्वितीय पक्ष [illegible]

[illegible] 11-11-10.

स्वयं अथवा या किसी वित्तीय संस्थान से मिल पोषित कर सकें इसके लिए प्रथम पक्ष अपनी स्वीकृत प्रदान करते हैं तथा इसके लिए द्वितीय पक्ष अपने हिस्से को प्लॉटों को तरफ हस्तांतरण कर प्राप्त कर सकते हैं। परन्तु यदि द्वितीय पक्ष वित्तीय संस्थान से लोन को लेकर के अदा करने में असमर्थ रहेंगे या किसी भी प्रकार का कोई अवैधानिक कार्य करते हैं, तो ऐसी स्थिति में उक्त वित्तीय संस्था को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष के स्थान पे पर न जायदाद से उसके हिस्से में आनेवाले लोगों ~~जमीन~~ से वसूली करे। इसमें द्वितीय पक्ष कोई दावा या ऐतराज नहीं करेंगे और न ही कोर्ट

(ख) भवन निर्माण के लिए द्वितीय पक्ष अपने [illegible] देखरेख प्राधिकरण, पटना, बोरिंग, [illegible] बिजली मिलान आदि विभागों से स्वयं के खर्चे पर [illegible] कार्यवाही आदि करायेगा, जिसकी पूरी जिम्मेवारी द्वितीय पक्ष की होगी।

3. यह कि निर्माण कार्य के दौरान पक्ष अपने अपने [illegible] न अलग बिल्डिंग सामग्री आदि को [illegible] जायदाद के [illegible] तथा अनधिकृत व्यक्ति को [illegible] द्वितीय पक्ष होगा एवं उक्त निर्माण कार्य का [illegible] संयुक्त रूप से [illegible] होगी।

4. यह कि [illegible] द्वितीय पक्ष के बीच [illegible] संयुक्त [illegible] होगा।

5. यह कि [illegible] प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत [illegible] के लाभ [illegible] करा लेंगे तो [illegible] होगा।

6. यह कि [illegible] अपने अपने [illegible] जोमेट्रिकली [illegible] लिखकर करायें, [illegible] हस्ताक्षर [illegible]

[illegible] DEVELOPERS PVT. LTD.

[illegible] Director

7. यह कि एकाकरकर्ता या उनके नॉमिनि मजदूर को परिमाण पैसेज, गैलरी, सीढ़ी या अपने अपने अंशों के उपयोग में लाने का रास्ता या भवन के निर्मित व अनिर्मित क्षेत्र का उपयोग संयुक्त रूप से करेंगे. कोई भी एक उपदेशित आंशिक क्षेत्र में किसी भी प्रकार का विवाद निर्माण अदि कार्यरत नहीं करेगा अन्यथा यह बाधित व लाठायोज होगा।

8. यह कि भवन मजदूर के जल व्यवस्था हेतु टंकियों के नामांकित पक्षकार जल संयोजन अपने अपने हक के आगे वाले अंशों पर पक्षकार स्वतंत्र रूप से करते रहेंगे. पक्षकार टंकियों का भवन मजदूर के आगे आगे अंशों के छत पर स्थापन करेंगे उसमें किसी प्रकार का हेतराज किसी पक्ष की नहीं है

9. यह कि भवन मजदूर के सम्पूर्ण निर्माण के पश्चात एकाकार प्रथम मजदूर को छत पर भी अपना अपना हक अपने अपने अंशों की आनुपातिक प्राप्त करेंगे।

10. यह कि एकाकरकर्ता को यह हक होगा कि अपने अपने हक में आगे वाले निर्मित व अनिर्मित फ्लैटों का नामकरण, संख्या, बल्लयन आदि अपने अपने हकदार से वसूल कर सके वह करे।

11. यह कि द्वितीय पक्ष 50 प्रतिशत निर्मित व अनिर्मित भाग जैसा आलेखित कथन कार्यरत है, को प्रथम पक्ष को देना होगा एवं भाग को द्वितीय पक्ष चुनेगा. सभी बिजली व फर्नीचर आदि फिक्सिंग लाईन, वॉयर लाईन, खिड़की दरवाजा सभी फिक्सिंग को ध्यान रखकर के प्रथम पक्ष को देना करेंगे करेगा एवं निर्माण हेतु आवश्यक में सहित करेंगे. आलेख प्रतिशत पर अन्य अनुपात में प्रथम पक्ष को करना होगा।

12. यह कि द्वितीय पक्ष को अनुबन्ध पत्र के अनुरूप एवं आवासीय द्वारा अपने अंशों को अपने कार्यकाल में भाग के अनुपात में करेगा वहीं अनुपात में प्रथम पक्ष को निर्माण कार्यकाल समाप्ति पश्चात देय होगी अन्यथा द्वितीय पक्ष को द्वारा अपरोक्त दरों को लाभ किसी कारण वश राजनीति के अन्तरण के तहत अन्तरण पर प्रथम पक्ष किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे।

13. यह कि द्वितीय पक्ष निर्माण कार्य के सम्पादनकाल अपनी तरफ से मजदूर इन्जीनियर विशेष टीकेदार एवं आर्किटेक्ट नियुक्त करेंगे. इससे कार्य सम्पादन का पूर्ण उत्तरदायित्व एवं दे. अन्य किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप प्रथम पक्ष का नहीं होगा।

होगा।

ARCHITECTURE PATNA

Managing Director

14. यह कि यदि द्वितीय पक्ष द्वारा निर्माण कार्य कराये जाने के दौरान प्रथम पक्ष की तरफ से कोई अन्य दावेदार उत्पन्न होकर किसी प्रकार की कानूनी अड़चन पैदा कर दे, जिस कारण द्वितीय पक्ष द्वारा कार्य पूर्ण करना सम्भव न हो सके या उस वक्त काबिज हकदारों को किसी प्रकार की असुविधा हो या काबिज हकदारों से उनका हक निकाले जाये, ऐसी परिस्थिति में प्रथम पक्ष की जिम्मेदारी होगी कि वह उत्पन्न विवादित मामलों को अपने निस्तारण करे अन्यथा उस वक्त से काबिज होने वाले हकदारों को क्षति पूर्ति बाजार दर के हिसाब से करें इसमें द्वितीय पक्ष का कोई वास्ता सरोकार न होगा ।

15. यह कि कि मौजूद अभिलेख पक्षकार के बीच सामान्य अनुबन्ध के रूप में तहरीर हो रहा है, जो पक्षकार के वारिसानों व कब्जा मुकावानों पर बाध्यकारी होगी ;

16. यह कि प्रथम पक्ष अपने अंश के 50 प्रतिशत निर्मित भवन का पानी, बिजली, चार्ज इत्यादि निर्माण के पश्चात् स्वयं मेन्टेनन्स करेंगे एवं द्वितीय पक्ष अपने 50 प्रतिशत हक के भाग का मेनटेनन्स का खर्च स्वयं वहन करेगा ।

17. यह कि भवन निर्माण में लगने वाले समस्त खर्चों का लेखा-जोखा एवं नियुक्ति का अधिकार द्वितीय पक्ष पास रखेगी। इसमें प्रथम पक्ष का कोई वास्ता व सरोकार नही होगा और न तो निर्माण से सम्बन्धित खर्च का प्रथम पक्ष से कोई सरोकार व अधिकार होगा ।

18. यह कि प्रस्तावित भवन के तलों व फ्लैटों के अतिरिक्त अगर पक्ष आपसी सहमति से किसी अन्य तल का निर्माण कराते है, तो भवन विकास प्राधिकारण व अन्य संस्थानों का आवद उस तल का तथान आदि खर्च द्वितीय पक्ष स्वयं वहन करेगी तथा अतिरिक्त फ्लोर पर प्रथम पक्ष का भी 50 प्रतिशत के अनुपात में हिस्सा होगा ।

19. यह कि बिल्डिंग निर्माण कि समयावधि समझौता ऐग्रीमेंट कि तिथि से 1 साल 6 माह तथा ऐसे समय 12 माह का होगा। अगर समय पर निर्माण कार्य पुरा नहीं होता है तो भवन निर्माता को रुपे 1,75,000/- (एक लाख पचहत्तर हजार रुपये) मात्र प्रतिमाह प्रथम पक्ष को अगले 9 माह तक देना होगा। इसके बाद 9 माह कि अवधि में अगर निर्माण कार्य पुरा नहीं होता है तो ऐसी परिस्थिति में इस समयावधि की सम्मति के बाद जमीन मालिक भवन निर्माता कि लगी पूँजी को काबिज कर अपने जमीन वापस ले सकेंगे ।

20. यह कि प्रस्तावित भवन निर्माण के उद्देश्य से प्रस्तावित भवन के लोकेशनी इंजीनियर और आर्किटेक्ट सोसाइटी के तहत अपनी एक सोसायटी का निर्माण कर प्रस्तावित बहुमंजिली इमारत के बाहरी रख-रखाव [illegible] पानी, सफाई आदि की व्यवस्था उपरोक्त सोसायटी करेगी संभाल लेती तब तक पक्षकारगण संयुक्त रूप से प्रस्तावित सोसायटी नहीं संभाल लेती तब तक पक्षकारगण संयुक्त रूप से प्रस्तावित जिम्मेदारियों का निर्वहन सोसाइटी अधिनियम के प्रावधानों के तहत करते रहेंगे।

21. यह कि विकासकर्ता द्वारा [illegible] करने के बाद कार्य शुरू करने के पहले इसकी जानकारी लिखित रूप में प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष को देगा तथा निर्माण में प्रयुक्त होने वाले सामग्रियों के गुणवत्ता को समय समय पर जाँचने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा जिससे कि भवन के निर्माण में गुणवत्ता में कमी न हो और समय समय पर आवश्यक सलाह प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष को देते रहे साथ ही [illegible] कमी होने पर उसमें सुधार [illegible] होगा इससे द्वितीय पक्ष को कोई आपत्ति नहीं होगी एवं दोनों पक्ष सहमत है। सम्पत्ति का सरकारी कुल कीमत रू0 1,12,48,000/- (एक करोड़ बारह लाख अड़तालीस हजार रुपये मात्र)।

अनुसूची

भुक्तानी का हिस्सा 50 प्रतिशत ऊपर लिखित अनुसूची विवरण :-
भुक्तानी के हिस्से का सम्बन्धित आर्टिकलवाइज का संक्षिप्त विवरण।

1. फाउंडेशन — आरसीसी फाईलिंग डिजाईन के अनुसार
2. स्ट्रक्चर — आरसीसी फ्रेम
3. सिविल वर्क — प्रथम मंजिल का छत ढलाई [illegible]
4. दरवाजा — आरसीसी फ्रेम-2x1 [illegible]
5. फर्श — सभी कमरों में विट्रीफाईड टाईल्स लगाया जायेगा।
6. प्लास्टर — सिमेन्ट-मसाला सिविल वर्क [illegible]
7. दरवाजा — लकड़ी का फ्रेम व शटर [illegible]
8. खिड़की — लकड़ी का फ्रेम व शटर लकड़ी के खिड़की [illegible]
9. इलेक्ट्रिक वायरिंग — [illegible]
10. सेनेटरी — [illegible]

[illegible]

11. कंसाइनमेन्ट जनरेटर, कोबल, इलेक्ट्रीसीटी कनेक्शन, टेलिफोनेक्सर, जनरेटर, लिफ्ट, इंटरकॉम एवं सामानसिंचाई तथा इलाहि का खर्च अंतल लिमीटेड वहन करेगी

आज दिनांक- 11/11/2019 ... को हमें गवाहों के सामने निम्नांकित गवाहों के समक्ष यह विक्रय करार एतद्वारा निष्पादित किया जाता है.

गवाहान का हस्ताक्षर

1. रविन्द्र कुमार — पिता श्री रामबचन राय
ग्राम जलालपुर
पोस्ट बरोसपुर
जिला पटना
दिनांक 11-10

2. नवलकिशोर कुमार
पिता देवनाथ राय
ग्राम जलालपुर
थाना रुपसपुर
जिला पटना
11/11/19

ANDESHWAR MULTICOM PVT. LTD.
Managing Director
11/11/2019

विक्रेता

क्रेता

Civil Court
11/11/19

11/11/19

Endorsement of Certificate of Admissibility

Under Rule 5 : duly stamped (or exempted from or does not require stamp duty) under the Indian Stamp Schedule 1 or 1-A, No. 05. Also admissible under section 26(a) of the B. T. Act.

I. Stamp duty paid under Indian Stamp Act Rs. 285100 . Amt. paid by N.J. Stamp Paper - Rs. 5000

Addl. Stamp duty paid under Municipal Act Rs. Amt. paid through Bank Challan - Rs. 280979

FEE PAID

		Registration Fee				LLR + Process Fee		Service Charge
A1	0 C	0 H1b	3 Ke1	0 Lb	0	LLR	0	
A5	0 D	0 H2	0 K1b	0 ...	2	Proc. Fee	0	300
A8	0 DD	0 I ...	160 K1c	0 M1	25	Total-	0	
A10	0 E	250 J1 -	0 K2	0 N1	54			
B	0 H1a	0x02	0 L1	0				
				TOTAL-	479			

Total amount paid (Reg. fee+LLR, Proc+Service Charge) in Rs. - 779

Registering Officer
Patna

Date : 19/11/2010

Endorsement under section 52

Presented for registration at Registration Office Patna on Friday, 19th November 2010 by Shanker Prasad S/O-Shri Chandramal Ral by profession Others, Status Executant

19-11-2010

Signature / L.T.I. of Presentant

Registering Officer
Patna

Endorsement under section 58

Execution is admitted by those executants and identified by the person ( ) named as Braj Kishore Singh age , Sex M son/daughter of S/O-Ram Kripal Singh resident of At-R/O-Flat No. G-1, Sunny Tower Apartment, Budha Colony, Patna,) whose names, photographs, fingerprints and signatures are affixed as such on each page / pages of the instrument.

Registering Officer
Patna

Date : 19/11/2010

Endorsement of Certificate of Registration under section 60

Registered at Registration Office Patna in Book No. 1 Volume No. 445 on page no. 570 - 581 for the year 2010 and stored in CD Volume No.CD-69 year 2010. The document no. is printed on the front Page of the document.

Registering Officer
Patna

Date : 19/11/2010

Token No.32769 Year - 2010 Sl.No 325[illegible] SCORE Ver. 2.1 Deed No. 27475 NIC-Bihar

बि० बं० प्रेस, गया।

कराव मालगुजारी/करव रैयती।

[illegible] ... No. 1907.

थाना [illegible] तौजी नम्बर [illegible] खाता नम्बर [illegible] की रकबा [illegible] नम्बर।

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

41504

अराजी नगदी	अराजी भावली	तफसील मुश्तरका लगान भावली।
[illegible]	[illegible]	[illegible]

फसल का सालाना मांग मय तफसील (बकाया और हाल) मौजूदा साल की।

[illegible] बाबत	सालाना	बकाया: तीन वर्ष से ऊपर।	३रा वर्ष।	२रा वर्ष।	१ला वर्ष।	हाल
लगान (नगदी)	1000				5000	1000
मालगुजारी (भावली)	1000				5000	1000
सेस ...	1000				5000	1000
सूद ...	1000				5000	1000
मुतफर्रकात ...	1000				5000	1000
मीजान	5000				15000	5000

तफसील अदायकारी।

अदायकारी बाबत।	बकाया: तीन वर्ष से ऊपर।	३रा वर्ष।	२रा वर्ष।	पिछला वर्ष।	मौजूदा हाल।	फाजिल
लगान (नगदी)				[illegible]	1000	
मालगुजारी (भावली)				[illegible]	1000	
सेस ...				[illegible]	1000	
सूद ...				[illegible]	1000	
मुतफर्रकात ...				3000	1000	
मीजान अदायकारी				[illegible]	[illegible]	[illegible]

(१) मीजान कुल (अक्षरों में) — [illegible]

(२) बाद देहिन्दा — [illegible]

(३) कुल बकाया — [illegible]

वसूलयाब की तारीख सहित दस्तखत

*बकाया का बकाया मालगुजारी पर [illegible] पर जिस पर कि [illegible] जारी है) सूद नहीं लिया जाता है।

Sch. XIV—F. No. 180V. [illegible] ।

[illegible] ; [illegible] ;

[illegible] ; [illegible] ; [illegible] ;

[illegible] ; [illegible] ;

414502

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

(1) [illegible] (2) [illegible] (3) [illegible]

[illegible]

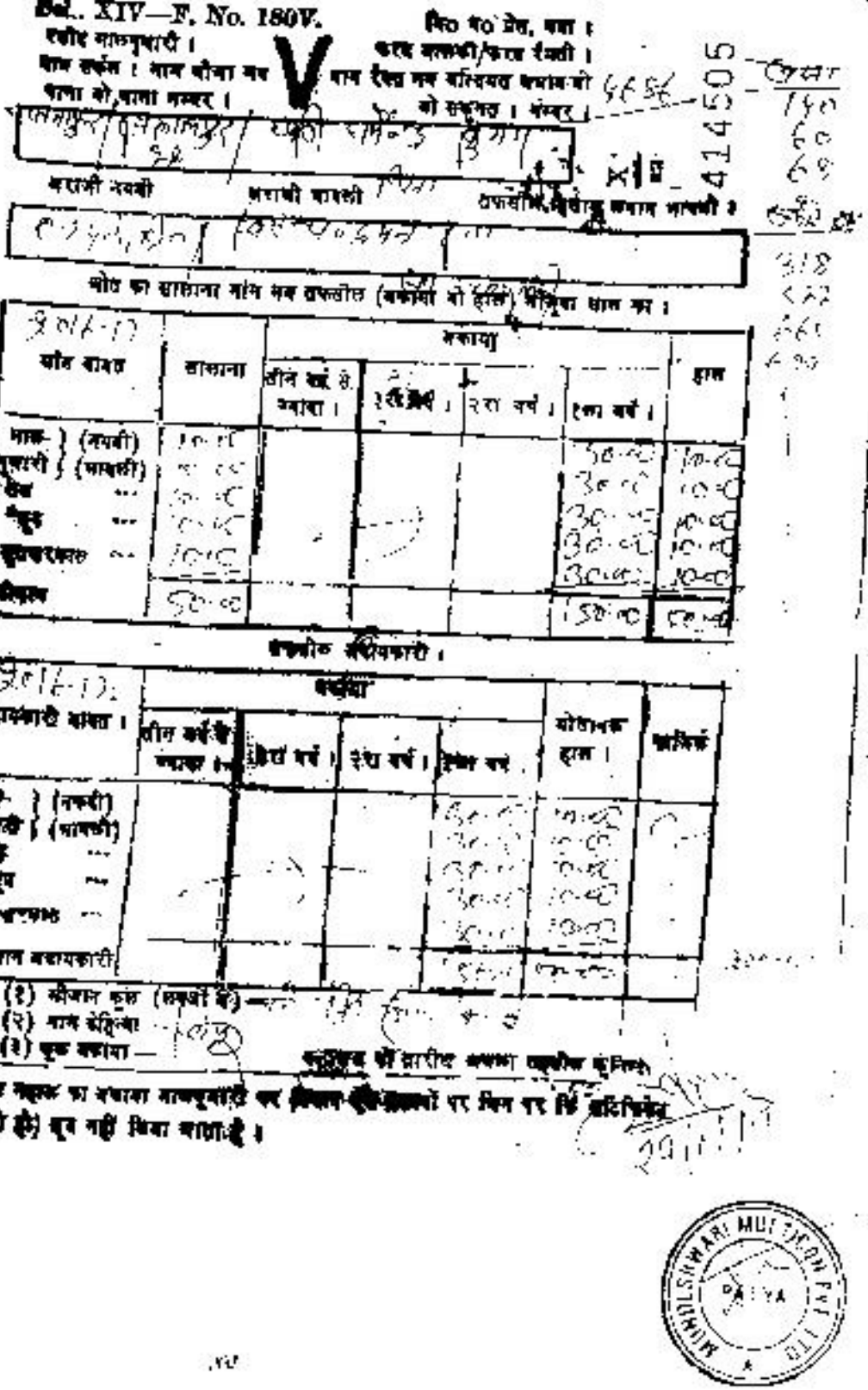
[illegible]

[illegible]

Bal. XIV—F. No. 1647.

414501

Sch.. XIV—F. No. 180V.



रसीद मालगुजारी ।
वास तहसील । गाम चौकी गम
थाना को,थाना नम्बर ।

जिला गया प्रेस, पटना ।
ऊपर मालगुजारी/कर रैयती ।
गाम रैयत गम वस्तियत जमाबन्दी
को सकुनत । नम्बर ।

4656 41450 5

जरीबी नम्बरी | जमाबंदी बाकली | तफसील मुतालबा जमाबन्दी ।

मौजा का मालगुजारी गाम गम तफसील (बकाया को छोड़) मिलिया धान का ।

मौजा वावत	मालगुजारी	बकाया				
		तीन वर्ष से ज्यादा ।	२रा वर्ष ।	१ला वर्ष ।	हाल	
माल- गुजारी (नकदी)						
माल- गुजारी (बाकली)						
सेस ...						
चौकीदारी ...						
कुलबरकाश ...						
योगफल						

तहसील मालिककारी ।

तहसीलदारी वावत ।	बकाया					
	तीन वर्ष से ज्यादा ।	२रा वर्ष ।	१ला वर्ष ।	हाल ।	योगफल हाल ।	तारीख
माल- गुजारी (नकदी)						
माल- गुजारी (बाकली)						
सेस ...						
चौकीदारी ...						
कुलबरकाश ...						
योगफल तहसीलदारी						

(१) मौजान कुल (नकदी में)
(२) माल डेहिन्वा
(३) कुल बकाया

तहसील की तारीख अथवा तहसील कुलिस्त

मालगुजार का बकाया मालगुजारी पर तहसील कौलनामों पर लिख कर दिं तारीखवार करने से) कुल नहीं लिया जाता है ।

MUKHOPADHYAY MUDRAN PVT. LTD. PATNA

Sch. XIV ... No. 180V.

खरीद मालगुजारी।
माल सकूल। माल पौधा मय
बगला वो बाग़ा नम्बर।

V

बिo गo प्रेस, बयाo।
खरीद मालकी/खरीद रियती।
माल रैयत मय बलियत अधान वो
वो सकूनत। नम्बर।

41457

अरीजी नगरी | अरीजी भावली | तालुकेदार/हिस्सेदार मवाम भावली।

खोज का सालेवार मांग मय तफसील (बकाया वो हाल) मौजूदा साल को।

मांग बाबत	खानापुरी	बकाया				कुल
		तीन वर्ष से ज्यादा।	3रा वर्ष।	२रा वर्ष।	इसी वर्ष।	
माल- (नगदी) गुजारी (मालकी)						
सेस ...						
सूद ...						
खुशखराश ...						
मीजान						

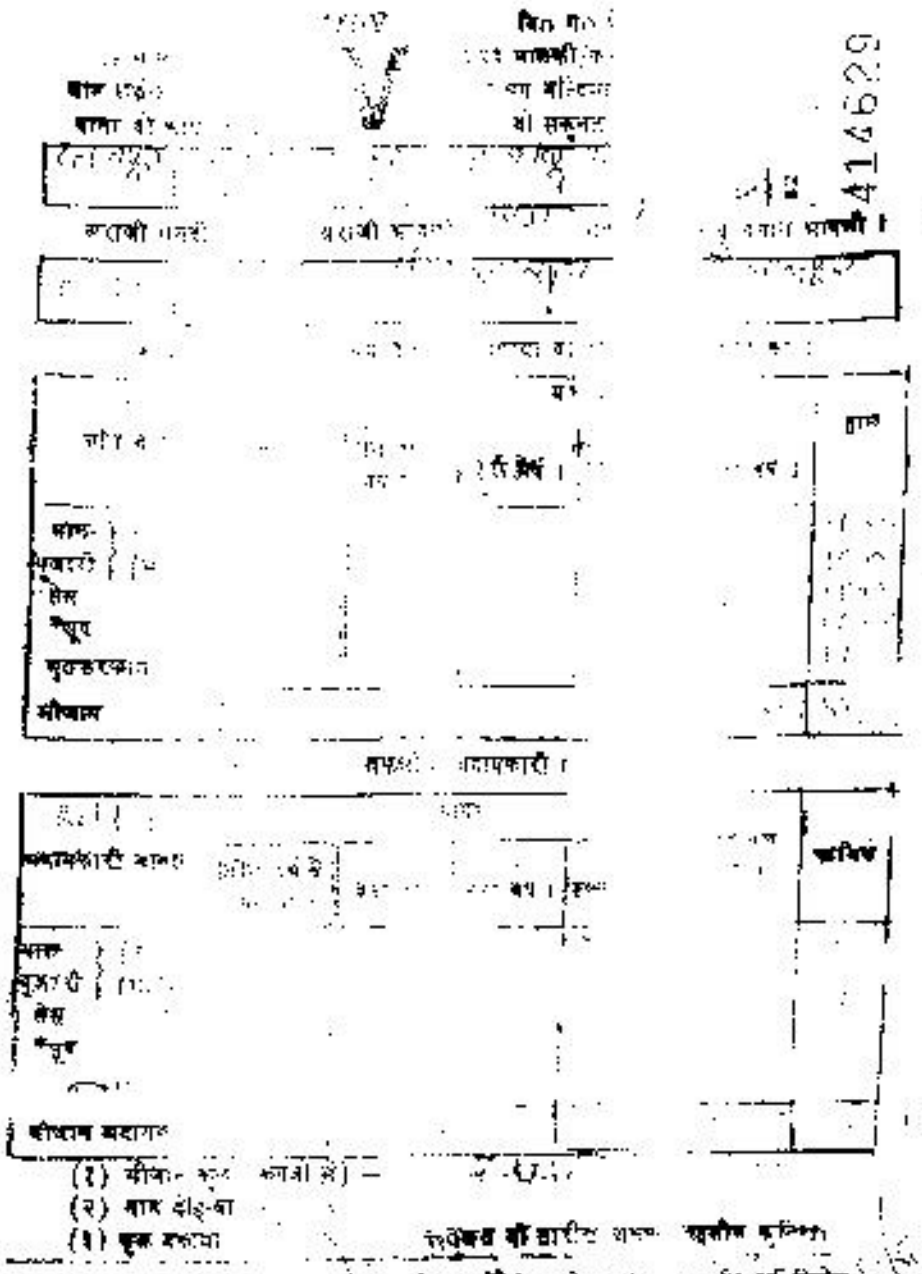
कफसील अदायकारी।

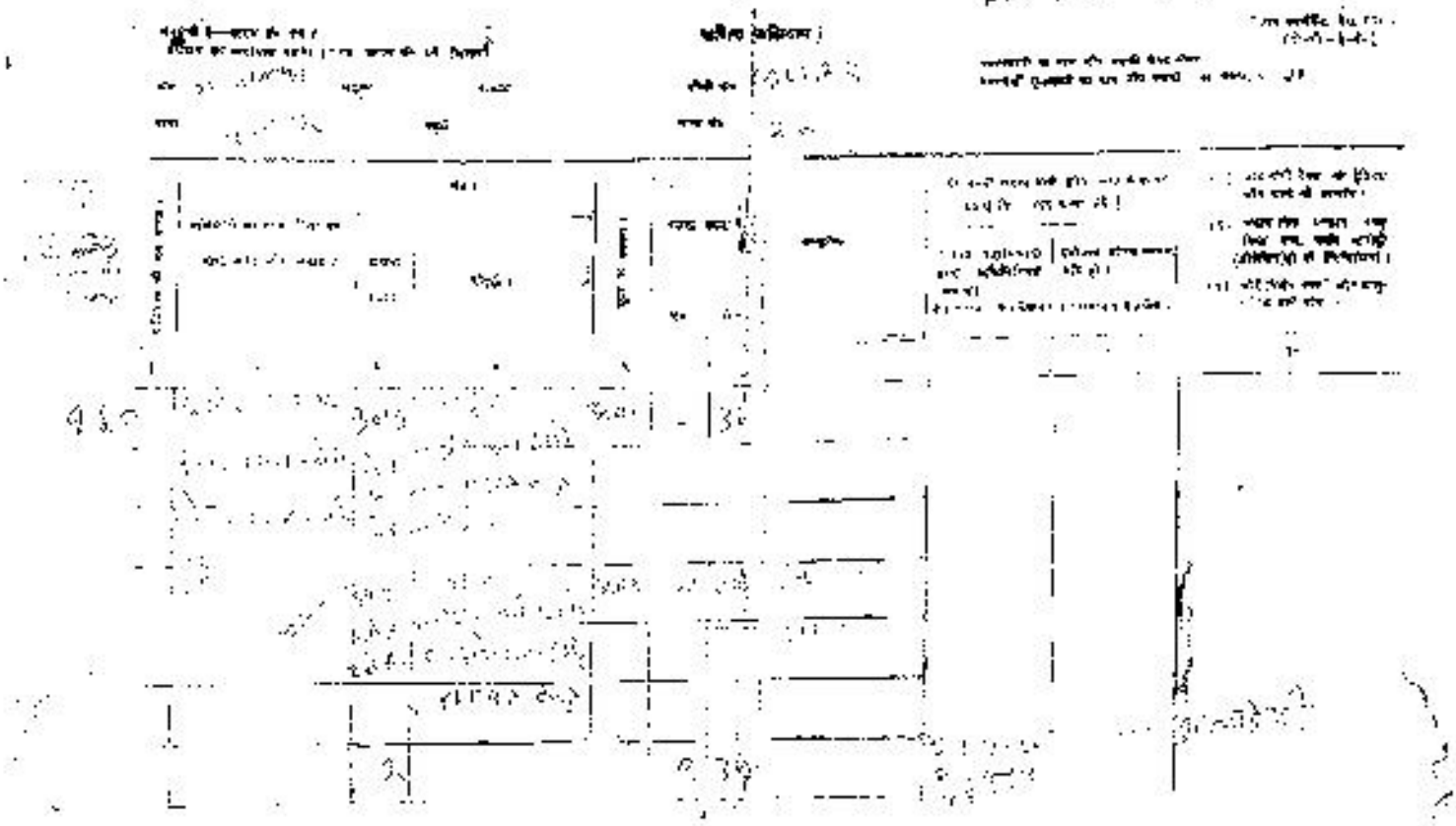
अदायकारी बाबत।	बकाया				मोजूदा साल।	बाकिर
	तीन वर्ष से ज्यादा।	3रा वर्ष।	२रा वर्ष।	इसी वर्ष।		
माल- (नगदी) गुजारी (मालकी)						
सेस ...						
सूद ...						
खुशखराश ...						
मीजान अदायकारी						

(१) मीजान कुल (रुपयों में)—
(२) माल देहन्दा —
(३) कुल बकाया—

कफसील वो डाटेल नक्शा महकील कलिमा।

*साल महाल का बकाया मालगुजारी पर लिखा होने पर जिन पर IV सुपरिन्टेन्डेन्ट खाली हो) कुछ नहीं लिखा जाता है।









Book No. 1 / Deed No. - 30874

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

BIHAR BIHAR

Summary of Endorsement

This document was presented for registration on [illegible] December 2010 by Pushpa Kumari.

A stamp duty of Rs. 42570/- and fees of Rs. 770/- has been paid on it.

The document was found admissible. The names, photographs and fingerprints and signatures of the executants, and their identifier, who have admitted execution before me, are affixed on the reverse page.

The document has been registered as deed no. 30874 in Book No. 1, Volume No. 503 on pages from 421 to 431 and has been preserved in total 11 pages in S.D. No. 78 / Year 2010.

Date : 29/12/2010

(Ajay Kumar Mishra)
Registering Officer, Patna

MUTILATION MUTILATION

Serial No : 36605
Token No : 37286
Type & Status of Party

Deed No : 30874 of 2010
Name of Party

	Photo	Thumb	Index	Middle	Ring	Lit
In Favour of						
Samrendra Singh (M.Dir.)						
Signature of Party						
Presented by						
Self						
Signature of Party						
Executed by						
Pushpa Kumari						
Signature of Party						
Identifier						
Shashiranjan Kumar						
Signature of Party						

श्रीमती पूनम कुमारी ओर श्री ध्रुवानन्द प्रसाद, जिनकी बाल-देवी विद्युत पोल-पदोन्नति...बालबालाओं...विद्युत-सम्पादन, आवेदित याचिका (प्रथम पक्ष) "मुख्य स्वामी" से संबोधित, उन सभी सदस्यों को सम्मिलित किया जाता है जिनका संबंध मुख्य स्वामी के मुख्य लिपिक पदोन्नति सम्बन्धित सहायक/सहायिकाओं एवं प्रशासकीय सम्मिलित है।

प्रथम

मुख्येश्वरी मल्टीकॉम प्रा० लि०, सर्वेक्षण कार्यालय, मुख्य पटना, जहाँ पेलेस, बुद्धा कालोनी, पोस्ट दी ही ओ. थाना-बुद्धा कॉलोनी जिला-पटना द्वारा प्रबंध निदेशक श्री समरेन्द्र सिंह तथा सी सत्यू लेख, जिनकी पहचान सम्बन्ध, बहुत आवेदक, सत्यू कॉलम्बस, बुद्धा कॉलोनी पोस्ट ओ. पी. ओ. पाटलीपुत्र कॉलोनी जिला पटना, आवेदित याचिका द्वितीय पक्ष तथा "विक्रयकर्ता" द्वितीय पक्ष से संबोधित, एक ने कि उनके उत्तराधिकारी, कार्यालय सहायिकाओं एवं प्रतिनिधि स्कोल्ड एवं सर्वेन्ट उत्तराधिकारी से है जिनका सम्बन्ध अथवा व. अप्रत्यक्ष रूप से द्वितीय पक्ष नियमकारी न्यायालय सम्मिलित किया गया है।

[illegible]

मुख्येश्वरी मल्टीकॉम प्रा० लि., [illegible] मुख्य पटना, सत्यू कालोनी... बुद्धा कॉलोनी [illegible] थाना बुद्धा कॉलोनी जिला पटना द्वारा प्रबंध निदेशक श्री समरेन्द्र सिंह तथा श्री सत्यू [illegible] सी. पी. ओ. थाना बुद्धा कॉलोनी जिला पटना, [illegible]

विक्रयसंबन्धित सक्षमप्राधिकार जिस शर्तों वाली स्वीकृति का पूर्ण विवरण :-

स्वामी की दर्शायी आवासी / व्यवसाय के हेतु उक्त [illegible] स्थित भूमि जिसकी चौहद्दी अंकित है [illegible] के विक्रय हेतु [illegible] की धारा [illegible] के अन्तर्गत [illegible] की विक्रय अनुमति [illegible] सम्पत्ति की चौहद्दी निम्नवत है :-

पूर्व दिशा :
पश्चिम दिशा :
उत्तर दिशा :
दक्षिण दिशा :

स्वीकृति का कुल सरकारी मूल्य रुपये 8,71,900/-
(आठ लाख इकहत्तर हजार नौ सौ रुपये मात्र)

शेष्य शर्तें

[illegible]

यह कि [illegible] द्वितीय पक्ष [illegible] जमीन मालिक प्रथम पक्ष के पास उपलब्ध भूमि पर बहुमंजिला भवन का निर्माण करने के लिए आग्रह किये जो कि इसके उपरोक्त वर्णित जमीन के ऊपर जमीन पर बहुमंजिला इमारत का निर्माण [illegible] प्रथम पक्ष जमीन मालिक ने आपस में अपनी सहमति दी एवं इसके उपरान्त बने हुये बहुमंजिला भवन पर [illegible] प्रतिशत का हिस्सा प्रथम पक्ष जमीन मालिक को मिलना तय हुआ तथा शेष [illegible] प्रतिशत पर द्वितीय पक्ष निर्माणकर्ता का हिस्सा मिलने का आपस में तय हुआ एवं द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष की जमीन पर अपने खर्चे से [illegible] नक्शा का निर्माण करवाने [illegible] दोनों [illegible] को [illegible] किसी प्रकार का कोई [illegible] नहीं होगा [illegible] प्रथम पक्ष [illegible] द्वितीय पक्ष को [illegible] [illegible] जमीन मालिक [illegible] द्वितीय पक्ष [illegible] अपने [illegible] [illegible] निम्नलिखित शर्तों [illegible] हो रहे हैं;

1. यह कि प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष [illegible] [illegible]

2. यह कि द्वितीय पक्ष [illegible]

3. यह कि निर्माणकर्ता द्वितीय पक्ष [illegible]

स्वयं लगाये या किसी वित्तीय संस्थान से वित्त पोषित कराए तो इसके लिए इसका पत्र आपकी वांछित प्रक्रिया करने से पूर्व इसके लिए द्वितीय पक्ष आपके हितों की पर्याप्त रक्षा कर सकते हैं परन्तु यदि द्वितीय पक्ष वित्तीय संस्थान को लोन की समय से वापसी करने में असफल होते या किसी भी प्रकार का कोई धोखाधड़ी पाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में उक्त वित्तीय संस्था को यह सुनिश्चित होना है कि वह द्वितीय पक्ष के खर्च के ऊपर व जायदाद से वसूली करें। इसमें मुनाफा पक्ष का कोई दावा व सरोकार नहीं है और न ही होगा।

(ब) उक्त विक्रय के लिए द्वितीय पक्ष अपनी ओर से पत्रों को बेचने विक्रय प्रतिनिधि नियुक्त करेगा, विज्ञापन, पत्र व्यवहार, विद्युत विज्ञापन आदि भेजने में खर्च की गई समस्त धनराशि कमीशन आदि विक्रयित पत्रों से प्राप्त होने पर द्वितीय पक्ष को देगा।

3. यह कि विक्रीत खण्ड में द्वितीय पक्ष समस्त रास्ता सीवरेज व अन्य विकासित सामग्री आदि का इस्तेमाल कर सकेगा और कोई भी बाधा व सरोकार न होगा तथा उपरोक्त खण्ड की सड़क में से प्रतिशत निर्धारित व आनुपातिक क्षेत्रफल वाले खण्डों को एकत्रित द्वितीय पक्ष सेवा कर उक्त विक्रीत खण्ड का निर्धारित व अविभाजित क्षेत्रफल का 50 प्रतिशत हिस्सा प्रथम पक्ष को देने की सहमत है।

4. यह कि विक्रीत व अविक्रीत क्षेत्रफल का विभाजन प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष की ओर से प्रतिशत व उक्त परिभाषा के अनुसार की जाएगी कि कौन सा भूखण्ड प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष लेकर भावनाओं सहमत्व, स्वतंत्रता और विक्रीत व अविक्रीत क्षेत्रफल की सहमत होगा।

5. यह कि उक्तलाखण्ड व्यवसायिक भाग का आवासीय विभाग अधिकतम, उक्त कालोनी की कोई भी सम्पत्ति किसी अन्य व्यक्ति को स्थानांतरित करने व बेचने का अधिकार द्वितीय पक्ष को होगा, प्रथम पक्ष का कोई दावा नहीं होगा।

6. यह कि उक्तलाखण्ड भवन आदि बनाने के समय के आने वाले खर्चों का प्रत्येक पक्षों को खर्च करने पर अपने आपने हिस्सेदारी को आपने आपने पर ही रखना पड़ेगा [illegible]

7. यह कि [illegible] या उनकी [illegible] के [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] किसी भी प्रकार का [illegible] नहीं [illegible]

8. यह कि [illegible] [illegible] [illegible] किसी प्रकार का [illegible]

9. यह कि [illegible]

10. यह कि [illegible]

11. यह कि द्वितीय पक्ष [illegible]

12. यह कि द्वितीय पक्ष [illegible]

13. यह कि द्वितीय [illegible]

14. यह कि यदि द्वितीय पक्ष द्वारा निर्माण कार्य करवाने आदि के दौरान प्रथम पक्ष की तरफ से कोई अन्य वारिसान अथवा लेकिन किसी प्रकार की कानूनी अड़चन पैदा कर दे, जिस कारण द्वितीय पक्ष द्वारा कार्य पूर्ण करना सम्भव न हो सके या इस दौरान भी कोर्ट कचहरी या किसी प्रकार की [illegible] कोर्ट कचहरी से [illegible] निकल जाये, ऐसी परिस्थिति में प्रथम पक्ष की जिम्मेदारी होगी कि वह अपने विवादित मामले को अपने [illegible] सुलह-समझौता कर विवाद का निस्तारण करे [illegible] होने वाले नुकसानों की [illegible] द्वितीय पक्ष का कोई उत्तरदायित्व न होगा।

15. यह कि [illegible] अनुबन्ध की [illegible] से [illegible] की जिम्मेदारी [illegible] होगा।

16. यह कि प्रथम पक्ष [illegible] निर्माण [illegible] बिजली, पानी [illegible] निर्माण के [illegible] द्वितीय पक्ष [illegible] का खर्च स्वयं वहन करेगा।

17. यह कि अवैध निर्माण में [illegible] खर्चे का लेखा जोखा एवं [illegible] का अधिकार द्वितीय पक्ष [illegible] इसमें प्रथम पक्ष का कोई हस्तक्षेप व [illegible] नहीं होगा और

[illegible] की [illegible] का प्रथम पक्ष को कोई [illegible] होगा।

18. यह कि प्रस्तावित [illegible]

19. [illegible]

23. यह कि प्रत्यर्थिक संख्या नियंत्रण की परिधि तथा उसे प्रत्यर्थिक संख्या की संगिनी सेनानायक गति तथा संगिनी सोसाइटी के तहत मालती तथा सोसायटी का नियोग कर प्रत्यर्थिक संख्यांगियों द्वारा की जाने वाली व्यवस्था, संगठन पद्धति, कुशलता, उद्देश्य आदि की व्यवस्था संगठित सोसायटी नहीं संगठित होती तथा उसे प्रत्यर्थिकता संगठन रूप से संगठित सोसायटी नहीं संगठित होती तथा उसे प्रत्यर्थिकता संगठन रूप से संगठित विभागाधिकारियों एवं विभिन्न सोसाइटी अधिनियम की धाराओं के तहत रजिस्टर्ड होती।

24. यह कि विभागाध्यक्ष द्वारा संयुक्त नियंत्रण की व्यवस्था संयुक्त प्रबंधों की तरह नहीं होती है। संयुक्त प्रबंधों के मामले में संयुक्त नियंत्रण रूप में प्रत्यर्थिक संख्या संगठित संगठन का ऐसे संगठन में संयुक्त होने वाले संगठनों की सूचनाओं पर ही होती है। इन संगठनों का संगठित संगठन एक ही होता है। विभाग के नियंत्रण की सूचनाओं में कमी या ये और संयुक्त रूपों पर संगठन संगठन के संगठन में संयुक्त होने पर संगठनों का सूचनाओं में संगठन संगठन होता है। संगठन संगठन में संगठन संगठन होता है।

Mandatory

- प्रत्येकवार

अनुसूची क्रम विषय का संक्षिप्त सूचक निम्नांकित प्रकार से विवरण :
सूचनाओं के विवरण का संक्षिप्त संगठनात्मक रूप संगठनात्मक का विवरण

1. [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible] [illegible] (1.5)
4. [illegible] [illegible]
5. [illegible] [illegible]
6. [illegible] [illegible]
7. [illegible] [illegible]
8. [illegible] [illegible]
9. [illegible] [illegible]



11. આરોપના સાક્ષરેલ બોલા. ફરીયાદીની બબાનમાં ઉલટતપાસમાં આરોપ. વિરુદ્ધ કરવામાં આ આરોપીના વકીલ આ આરોપ આ આરોપ વિરુદ્ધ કરવામાં આવ્યો.

આજ દિનાંક 28.12.2019 સાંજના વકીલ આ કામ વિરુદ્ધમાં આરોપી આ આરોપ આ વિરુદ્ધ આરોપ આરોપીના વિરુદ્ધ કરવામાં આવ્યો છે.

આરોપીના વકીલ

ફરિયાદી આરોપીના વકીલ

આરોપીના વકીલ

ફરિયાદી આરોપીના વકીલ

સાક્ષી

સાક્ષી





Endorsement of Certificate of Admissibility

Admissible under Rule 5 : duly stamped (or exempted from or does not require stamp duty) under the Indian Stamp Act, 1899, Schedule I or I. A, No. 05. Also admissible under section 26(a) of the B. T. Act.

Stamp duty paid under Indian Stamp Act Rs. 17520 *Amt. paid by N.J. Stamp Paper* Rs. 5000

Addl. Stamp duty paid under Municipal Act Rs. *Amt. paid through Bank Challan* Rs. 13295

Registration Fee LLR + Process Fee Service Charge

FEE PAID

A1	0	C	0	H1b	0	Ka1	0	L	0
A2	0	D	0	H2	0	K1b	0	Ln	0
A3	0	DD	0	I	150	K1c	0	Mc	25
A10	0	L	250	J*	0	K2	0	Ns	54
B	0	Hla	0	J2	0	Ln	0		

TOTAL: 479

L. R 0

Proc. Fee 0 300

Total: 0

Total amont paid (Reg. fee+LLR, Proc+Service Charge) in Rs. 779

Registering Officer
Patna

Date : 28/12/2010

Endorsement under section 52

Presented for registration at Registration Office, Patna on Tuesday, 28th December 2010 by Pushpa Kumari W/O-Sri Dularchand Prasad by profession Others. Status :- Executant

Signature / L.T.I. of Presentant *Date :* 28/12/2010

Registering Officer
Patna

Endorsement under section 58

Executant is/are identified by those executants and identified by the persons identified by Shashi Ranjan Kumar S/O Sex: M son/daughter of S/O Dular Chand Prasad resident of Tori Rajna, Po Jehra, Ps Dhanarua, Dist. Patna, whose photographs, fingerprints and signatures are affixed as specified. Each page contains the signature of the document.

Registering Officer
Patna

Date : 28/12/2010

Endorsement of Certificate of Registration under section 60

Registered at Registration Office Patna in Book No. 1 Volume No. 553 on page no. 421 - 431 for the year 2010 and stored in CD Volume No.CD-78 year 2010. The document no. is printed on the front Page of the document.

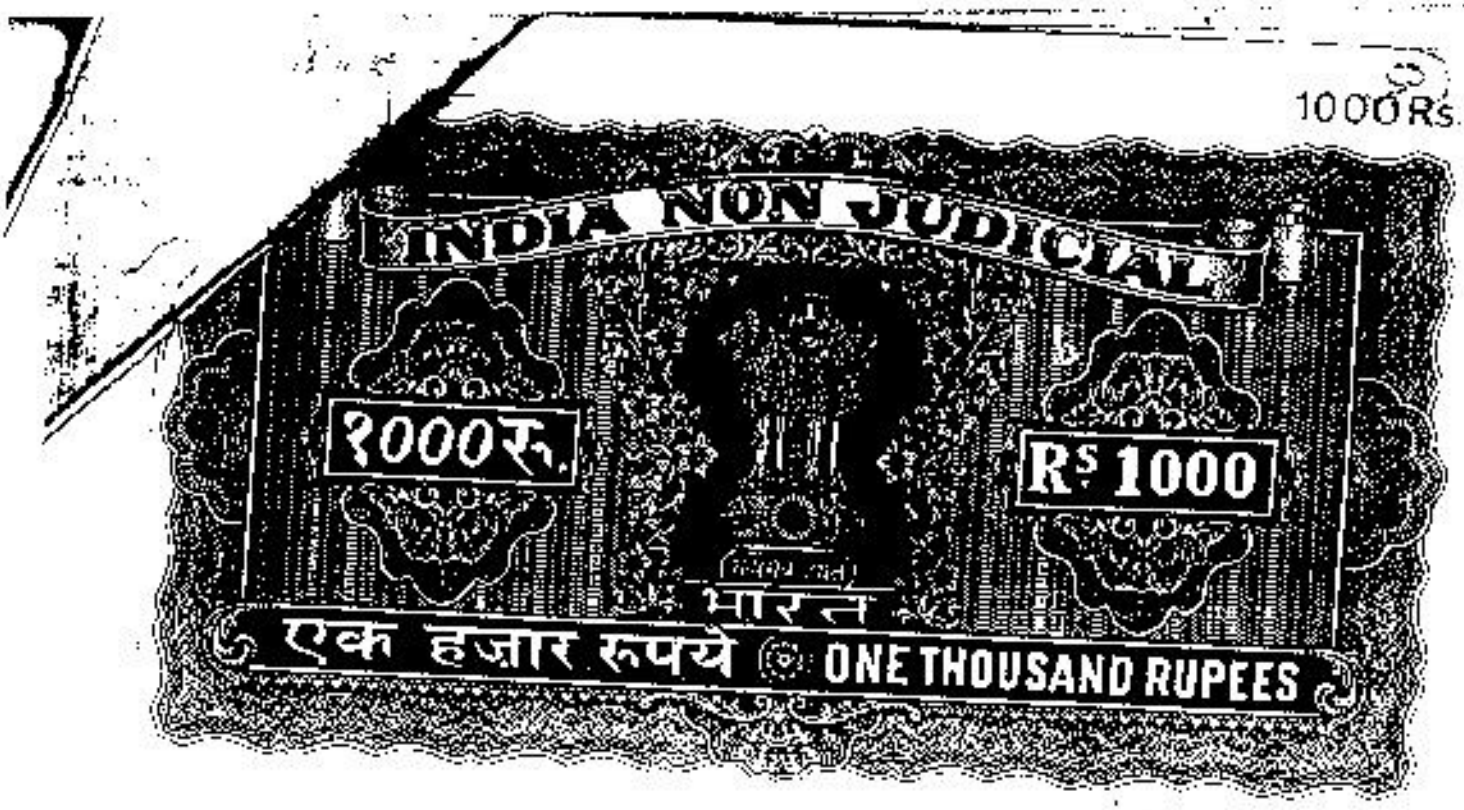
Registering Officer
Patna

Date : 28/12/2010

Token No.37286 Year - 2010 Sl.No. 36605 SCORE Ver. 2.1 Deed No. 30574 NI[illegible]


भारतीय गैर-न्यायिक
बीस हजार रुपये
RUPEES
20000
रुपये
Rs 20000 रु
INDIA NON JUDICIAL
Rs 20000 रु





2. वैधपालकों का नाम एवं पता

श्रीमती पूजा कुमारी पति का नाम श्री पुरंदरचन्द्र प्रसाद निवासी ग्राम ऐरी सिंगरा, पो0ऑ0-नारायण आर रा. थाना दो जेल दोनावार, जि0— पूर्णिया, भारतीय नागरिक।

3. नेक्स्ट फ्रेंड

निरंक, जिसे यह अदालत नियुक्त करती है

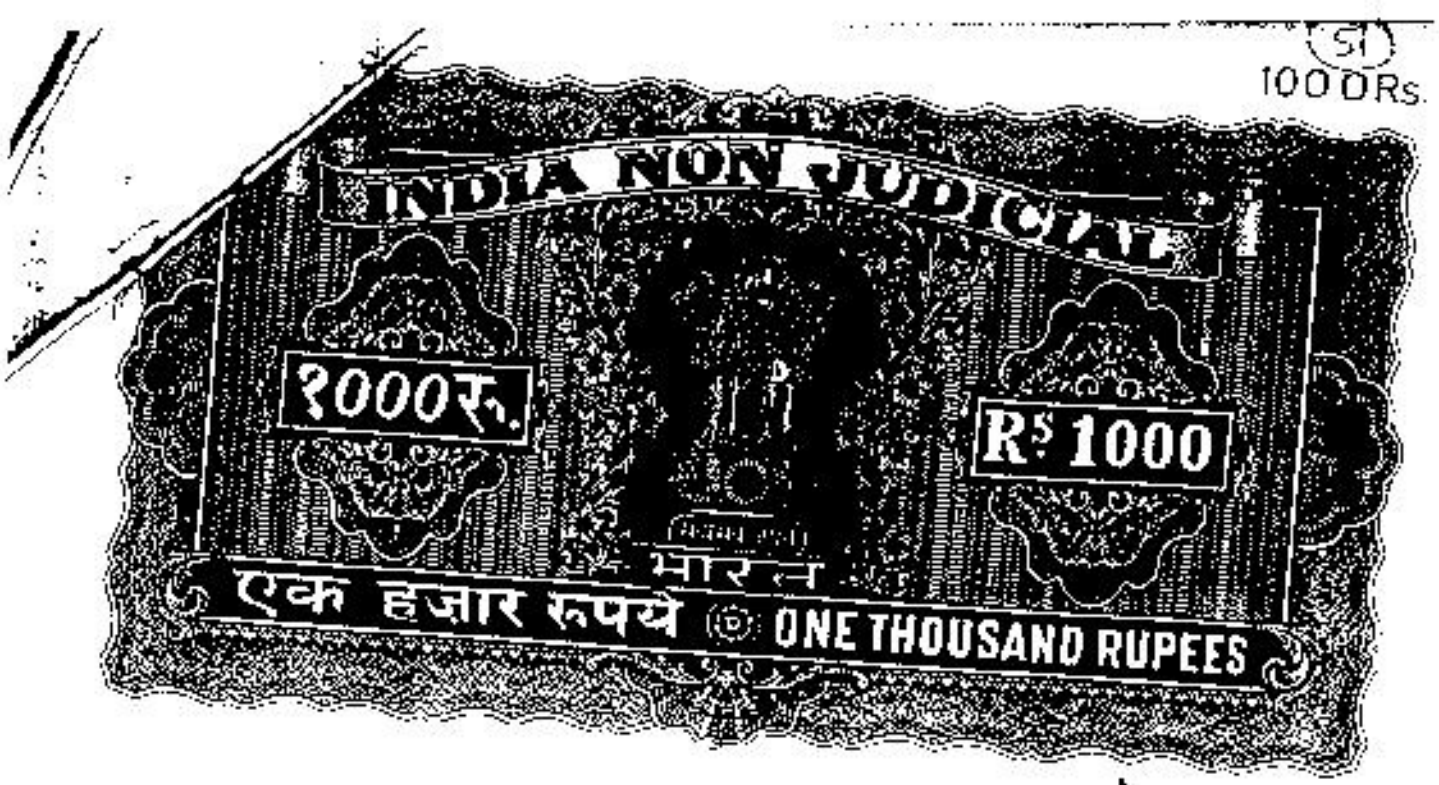
4. मुकदमा :

सी0 ए 50, 2017 – धारा 498 क भा0द0वि0 एवं अन्य

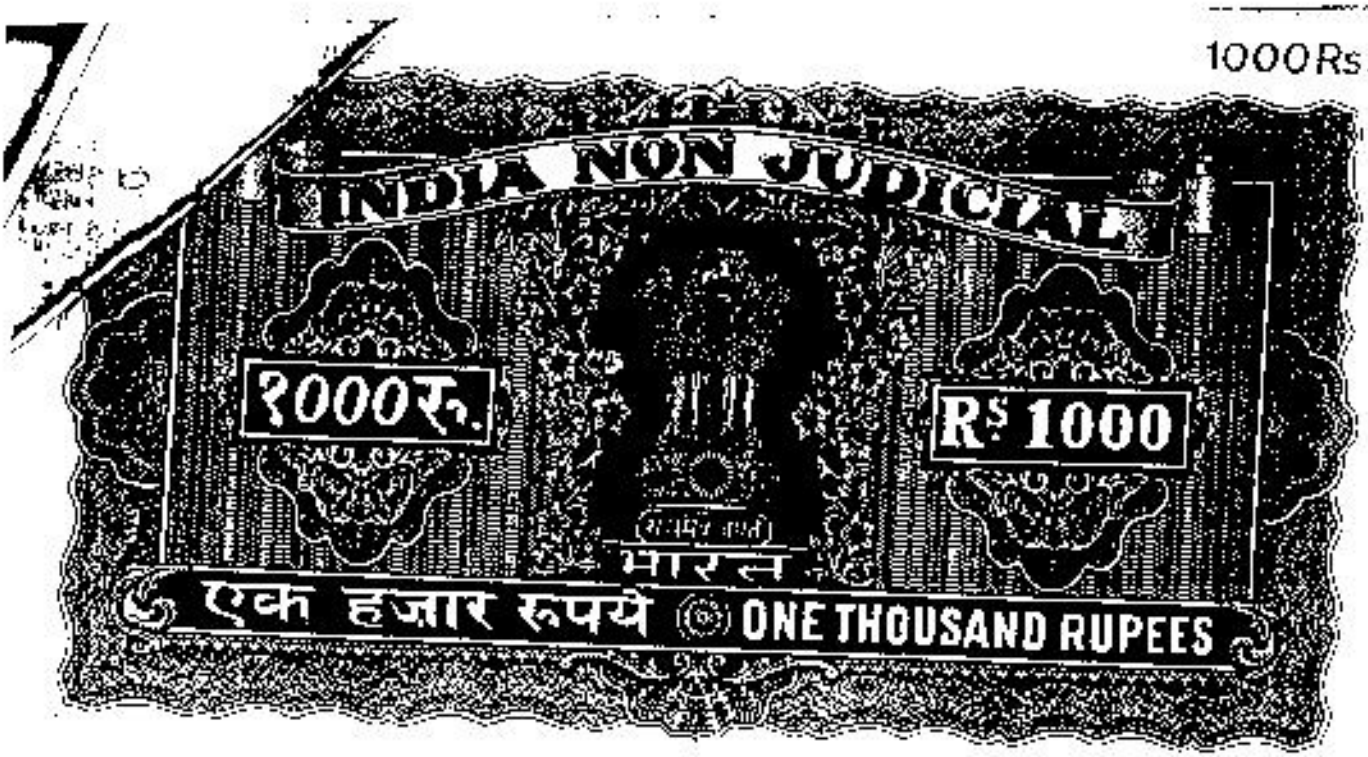
5. सम्पत्ति का विवरण:

उपरोक्त की स्त्रीधन सम्पत्ति [illegible]

और पूर्वोक्त प्रतिवादी गण [illegible]

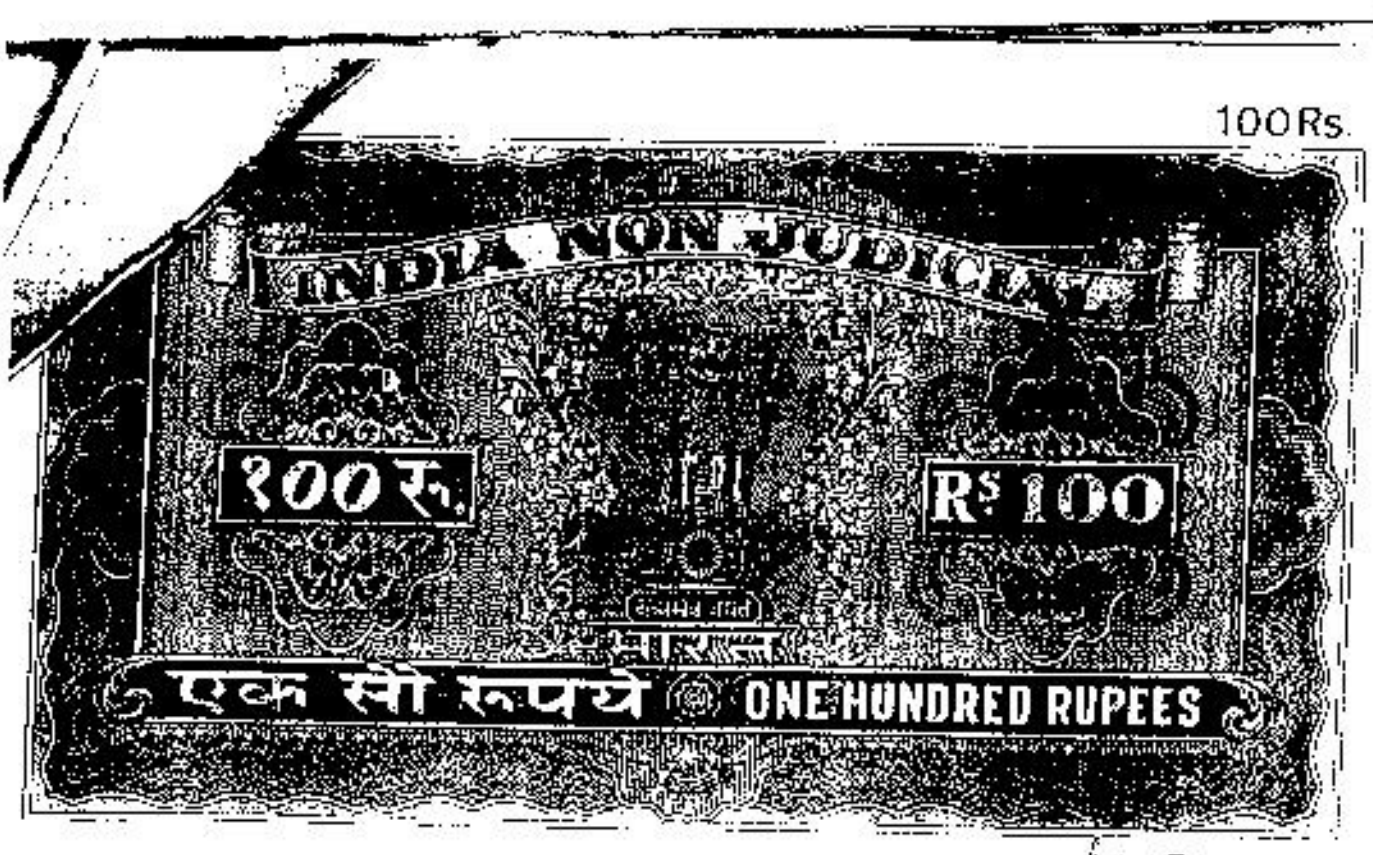

INDIA NON JUDICIAL
१०००रु.
Rs 1000
भारत
एक हजार रूपये ONE THOUSAND RUPEES

51
100 Rs.


1000Rs
INDIA NON JUDICIAL
१०००रु.
Rs 1000
भारत
एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

-4-

तस्दीक



->-

सम्पत्ति हेतु अन्यास के साक्षादेा कर्ता है । इस प्रकार सम्पत्ति सम्बंधी बाद हक दो पैदावार का एक मौरूसी प्रभाव आम लेखकारों का इस प्रकाशित होगा है।

लेखकारी को सहाय पाने तथा अन्य अन्तरी क सी को पूर्ति हेतु का भी आक्षादेा है और धन के मामला 405 को सम्पत्ति को लेखकारेखी मामला पेश है साथ टिप्पणी वहां करते है कि एक व्यक्ति का अर्थ होना प्रायः सुविधाजनक है।

अतएव लेखकारी अधिकार पेश करने के मुद्दे सम्बन्धार भी इकलौता पलकर की दखल अन्तरी की का का अधिकारपत्रों में आपत्तिक संशोधन के अन्य अधिकार के सम्बन्धों की आवश्यकता में परमार्थ लेखा पेश किसी अन्तरी अनुसार कार्य की प्रकाश तथा अन्तरी के लेखकारी सम्बन्धकुमार सम्पत्ति का मुख्य अधिक और पूरा करने तथा देने ; 45

MAHARI MULTIGON PVT. LTD.
PATNA

लेखपधारिणी बाना नं02 श्रीमती पुष्पा कुमारी जौहरी श्री कुमारचन्द प्रसाद के साथ लिये तथा इस विक्रय पत्र का निष्पादन इकरार लेखदारी सहर्ष स्वीकार किये ।

मूल्य के कुल रुपया लेखदारी कक्षा खरीदार से वसूल पा चुके है और सम्पत्ति के कीमत मे मिल्का वो मोजरा कर दिये है। इस प्रकार इक्का सम्पत्ति का कुल कीमत वसूल गो कोरक हो जाता है।

बाना नं05 की वर्णित सम्पत्ति में जितना भी हक हो हिस्सा सो उक्त कक्षा लेखदारी, पुर्वोलिखारी का अखत्याधिकारी-पत्र वह को प्राप्त था , है पर होता वह सभी प्रकार के हक हो हिस्सा हो उक्त कक्षा समान क्रोपन मूल्य के हुल लाया पुर्वत" होकर आज की तिथि से खरीदार पक्ष को प्राप्त हुआ हो होगा । खरीदार बाना नं02 बाना नं05 के सम्पत्ति को गुल हकदार हो पक्षकार बनकर हो रहकर अपनानुसार सम्पत्ति को बगाहार में लाकर नाम दर्ज करवाकर रसीद कटाकर सम्पत्ति आदि का उपभोग तथा स्वामित्व क्रयेण सम्पत्ति का आपसना हेतु पक्ष किया करेगें।

लेखकारी (विक्रेता) ने लेखधारिणी (क्रेता) के साथ यह भी सत्यता प्रकट किये है कि थाना नं05 की वर्णित सम्पत्ति ऋण भारअवलंबन की अधिकृता से मुक्त तथा पाक और साफ है । सम्पत्ति अन्यत्र अन्यान्य के साथ अंतरांतरण नहो किया गया है। विक्रेता के पूर्ण विश्वास दिलाने को प्रयास करने पर ही क्रेता उक्त सम्पत्ति को क्रय करना स्वीकार किये हैं। सम्पत्ति सम्बंधी किसी भी प्रकार की क्षति को दशा में क्षति के अनुसार मूल खर्च रूपया सह सूद सहित कानूनन विक्रेता पक्ष के अन्यान्य चल अचल सम्पत्ति से क्षति की पूर्ति क्रेता पक्ष कर लेवेंगे। इसमें किसी प्रकार का कोई भी विवाद या विरोध विक्रेता पक्ष को नही है जो भी रहेगा। इस विक्रय पत्र की सत्यता सर्वदा, सर्वस्व तत्थ मान्य होगा।

इस वास्ते लेखकारी ने अच्छी तरह सोच समझकर विक्रय पत्र लेखधारिणी थाना नं02 के नाम लिख दिया कि समय पर काम आवे को प्रमाण रहें।

इस विक्रय पत्र की दो प्रतियां एक समान तैयार की गयी है।

दिनांक 21.10.2003 ई0

SUSHIL SHWARI MUKHTIYAR

टंकितकिया:
विजयप्रसाद
अदमछआँ, पटना।

प्रार्थीकर्ता,
ब्रह्मानन्दप्रसाद
पसीका नवीन
ला0नं0-113/02
बालमोटोला पटना।







परमानन्द प्रसाद
पचन्द्री रटना
[illegible]



[illegible]



Serial No. - 36601

Book No. - 1 / Deed No. - 30870

भारतीय गैर न्यायिकINDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

बिहार BIHAR

Summary of Endorsement

This document was presented for registration on this Tuesday, the 28th of December 2010 by Asha Devi.

A stamp duty of Rs. 5920/- and other fees of Rs. 779/- has been paid in it.

The document was found admissible. The names, photographs and fingerprints and signatures of the executants, and their identifier, who have admitted execution before me, are affixed on the reverse page.

The document has been registered as deed no. 30870 in Book No. 1 Volume No. 503 on pages from 376 to 386 and has been preserved in total 11 pages in C.D. No. 78 / Year 2010.

Date: 28/12/2010 Token No. 27207/2010

(Ajay Krishna Mishra)
Registering Officer, Patna

Serial No : 36501
Token No : 37287
Type & Status of Party

Deed No : 3087C
of 2010
Name of Party

Photo	Thumb	Index	Middle	Ring	L
					

In Favour of MUNDESHWARI CONTRACTS
Surendra Singh (M.D.)
Managing Director

Signature of Party

Photo	Thumb	Index	Middle	Ring	L
					

Presented by
Self Asha Devi
28.12.2010

Signature of Party

Executed by
Asha Devi
28.12.2010

Signature of Party

Photo	Thumb	Index	Middle	Ring	L
					

Identifier
Shashiranjan Kumar
28/12/10

Signature of Party

श्रीमती आशा देवी पत्नी श्री विकास कुमार, निवासी ग्राम [illegible] [illegible] भारतीय नागरिक (प्रथम पक्ष) "[illegible]" के अधिकार [illegible] सदस्यों को सम्मिलित किया जाता है जिसका [illegible] स्वामी [illegible] प्रतिनिधि [illegible] सम्मिलित है।

एवं

मुक्तेश्वरी मल्टीकॉन प्रा0 लि0, [illegible] कॉलोनी [illegible] द्वारा प्रबंध निदेशक श्री अमरेन्द्र सिंह [illegible] अपार्टमेन्ट, [illegible] कॉलोनी, [illegible] कॉलोनी [illegible] भारतीय नागरिक (द्वितीय पक्ष) [illegible] कि उनके उत्तराधिकारी, [illegible] उत्तराधिकारी एवं [illegible] एजेन्ट एवं [illegible] प्रत्यक्ष रूप से [illegible] सम्मिलित किया जाता है।

1. यह कि [illegible] स्वामी है [illegible] आशा देवी पत्नी श्री विकास कुमार [illegible] भारतीय नागरिक

[illegible] प्रथम [illegible]

मुक्तेश्वरी मल्टीकॉन प्रा0 लि0, [illegible] द्वारा प्रबंध निदेशक श्री अमरेन्द्र सिंह [illegible] अपार्टमेन्ट, [illegible] कॉलोनी [illegible] भारतीय नागरिक

[illegible]

विक्रयनामा एकरारनामा कि जाने वाली सम्पत्ति का पूर्ण विवरण :

हमारी वो सम्पत्ती जमीनी ७० फुट लम्बा ४० फुट चौड़ा पश्चिमी मुखि आरसिसमाल वाली जो कि मौजा अजीतपुर, नगर, पौजा-अलवरपुर, तहसील खानपुर, उप डिस्ट्रीक्ट ऑफिस झालावाड़ तो सब रजिस्ट्रार ऑफिस वो जिला पंचायत है, जिसका खाता नं० 22 (बाईस), खाता खेड़ नं०-138, जो कि खेड़ सम्बन्धित, खाता नं०-140 (एक सौ चालीस), जो खेसरा सर्वे नम्बर खेड़ नं०-218 रकीबा दो बराबर) का अंश का भू-भाग्य संबंध विवाद सम्बन्धित ग्राम अजीतपुरिकलां डी खानपुर को ...कुछ सम्बन्धित जमीनी नं० ... से घेरा है जमीनका चौहद्दी निम्न प्रकार है :-

चौहद्दी

उत्तर	:- पुश्तैनी खेत
दक्षिण	:- सीमा
पूरब	:- 5 फीट रास्ता
पश्चिम	:- खेसरा लिंक

सम्पत्ति का कुल सर्कलवर्ती मूल्य रू० 2,91,000/-
(दो लाख एकानवे हजार रुपये) मात्र।

लेखक संदर्भ

लेखित रूप से कि उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति पूर्णतः मेरी कि स्वीकृत सम्पत्ति है, किसी प्रकार का भी ऋण एवं लेन-देन कर्ज एवं लेखित लिए जिसकी बंधक-सम्पत्ति खानपुर तहसील-झालावाड़ की लिखित लिखत में भी बंधक नहीं है तथा सम्पत्ति कार्यालय पत्रों में लिखित-झालावाड़ के भी दोनों पक्षों के लिखित पत्रों से लिखित कुल नं० 1 तथा सम्पत्ति सम्बन्धित सभी प्रकार के है। दोनों कि लेखित से जमीनों में भी कर्जों का कोई भी लेखित लिखित आदि पूर्वलिखित कुछ भी नहीं है तथा किसी के लेन-देनसम्बन्ध एवं सम्पत्ति हमारे साथियों के अलावा भी तथा का कर्ज से तथा सम्पत्ति लेखित लिखित लेखित के साथ दोनों के तथा कुछ कर्जों का कुछ भी लिखितसम्बन्ध सम्बन्ध का लिखित भी है तथा कर्जदारों के ..... से सम्बन्धित भी कुछ सम्बन्ध भाग भी हमारी लिखा का नहीं है।



यह कि सुविधार्थक द्वितीय पक्ष अर्थात् आदेशित पक्षगण को उपरोक्त भूमि पर बहुमंजिला भवन का निर्माण करने के लिए आग्रह किये जो कि इसके अनुरोध करने पर आदेशित पक्षगण बहुमंजिला इमारत का निर्माण करेंगे जिसे प्रथम पक्ष अर्थात् मालिक ने स्वीकार करते हुए बहुमंजिला भवन पर 50 प्रतिशत का हिस्सा पक्षगण पक्ष अर्थात् आदेशित की तरफ तथा शेष 50 प्रतिशत पर द्वितीय पक्ष अर्थात् विकासकर्ता का हिस्सा निश्चित किया गया हुआ एवं द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष की अर्थात् अपने खर्च से निर्धारित मानचित्र द्वारा भवन उपलब्ध कराने के अनुरूप भवन का निर्माण करवाने का वचन दे निर्माण के अधिकार को स्वीकार किया एवं अपने पास से 50 लाख रु० का प्रतिभूति भवन अपने पास से दी एवं रु० 25 लाख को खर्च करने उसके प्रमाण पत्र को दिये जाने के उपरान्त शेष राशि देना उक्त पक्षकारगण पक्ष के अपनी सहमति प्रकट करते हुए द्वितीय पक्ष को इसके द्वारा दी जाने वाली सहमति एवं निर्माण सम्बन्धित स्वरूप विषय पर पक्षकार गण निम्न लिखित शर्तों पर भवन निर्माण के प्रयत्न पक्ष अर्थात् मालिक व द्वितीय पक्ष विकासकर्ता अपने मालिकाना व आदेश अनुपालनों की शर्तों अधोलिखित शर्तों व विवरण के आधार पर एक दूसरे की निम्नलिखित शर्तों व वादेलाओं को पालन करने व लेने को

1. यह कि प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष को उपरोक्त विवरणित भूमि अपने मालिकाना एवं कब्जे में लाकर को निर्माणार्थ एवं भवन निर्माण करने की अनुमति देते हुए साथ ही साथ अनापत्ति निर्माण प्रमाण पत्र के लिए जो भी कार्य को द्वितीय पक्ष के द्वारा किया जाना है उसके लिए भी अधिकृत करते हैं द्वितीय पक्ष द्वारा भवन निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त पूर्णता प्रमाण पत्र निर्माण कराने के लिए भी पूरी जवाबदेही ली

2. यह कि द्वितीय पक्ष अधोलिखित शर्तों व निबन्धनों का पालन करेंगे :

(a) यह कि विकासकर्ता द्वितीय पक्ष द्वारा जो निर्माण कराया जायेगा वे उनके हिस्से की 50 प्रतिशत हिस्सा एवं पक्षगण पक्ष के हिस्से 50 प्रतिशत हिस्सा में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे एवं पक्षगण पक्ष अर्थात् मालिक के हिस्से का भवन का निर्माण विकासकर्ता पर ही होगा एवं पक्षगण पक्ष अर्थात् द्वितीय पक्ष अपने हिस्से में लगने वाले सभी

For NIRMAL MULTICON PVT. LTD.
Director

स्वयं उपस्थित या किसी विधिवत प्राधिकृत से जिरह कराने का हकदार होगा, इसके लिए प्रथम पक्ष अपनी स्वीकृति प्रदान करता है तथा इसके लिए द्वितीय पक्ष अपने हितों की रक्षार्थ उन्हें सक्षम साक्षी प्रस्तुत कर सकते हैं। परन्तु यदि द्वितीय पक्ष विधिक संस्थान की सेवा को समय से अदा करने में असफल होंगे या किसी भी प्रकार का कोई अतैधानिक कार्य करते हैं तो ऐसी स्थिति में प्रथम विधिक सलाह को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष के खर्चे के सूद व नुकसानी को वसूली करे। इसमें प्रतिवाद पक्ष का कोई दावा व सरोकार नहीं के बराबर भी होगा।

MUNDESHWARI MULTICONSULT
Managing Director

उक्त अनुबंध निष्पादित के लिए द्वितीय पक्ष अपने खर्च से प्रथम सेवित विधिक प्रतिनिधित्व, सलाह, मशवरा, तथा संस्थान विधुत विभाग आदि विभागों से खर्चे पर संपूर्ण कानूनी कार्यवाही आदि निष्पादित करेगा, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी।

5 यह कि निर्माण कार्य में द्वितीय पक्ष संपूर्ण सहयोग उपलब्ध व शासन विकसित जानकारी आदि से प्रथम पक्ष को कोई भी परेशानी व असहयोग न होगा तथा सम्बन्धित कार्य के दौरान में सह परियोजना निर्माण व अतिरिक्त सेवाओं प्राप्त करने पर सहयोग द्वितीय पक्ष होगा एवं उक्त विभिन्न सेवाओं का निर्धारित व आवश्यक सेवाशुल्क का 60 प्रतिशत विकास प्रथम पक्ष को देने को सहमत होगी।

6 यह कि निर्धारित व अतिरिक्त सेवाओं का विधिवत प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष की ओर से प्रतिवाद व वाद परिवाद की कार्यवाही में होना जिसके अनुसार पत्रों तथा व द्वितीय पक्ष, लेखकों सलाहकारों, प्रतिनिधि, अधिवक्ता आदि निर्धारित व अतिरिक्त सेवाओं को सहयोग होगा।

7 यह कि पक्षकारगण प्रस्तावित प्रथम की आवश्यक विधिक प्रतिनिधित्व तथा दस्तावेज की प्रति की सहयोग सेवा प्राप्त कर व किसी को साक्षिक सेवा व सहयोग प्रदान कर सकते हैं तथा सुविधानुसार स्थान पर सम्बन्धित व्यक्ति व संस्थान पर होंगे जो अतिरिक्त विधिक का विधिक सेवा शुल्क।

8 यह कि पक्षकारगण अपने अपने व्यक्तिगत व अपनी अपनी संस्थाओं का प्रतिनिधि करने की स्थान पर व अपने सम्बन्धित प्रतिनिधियों को अपने स्थान पर के लिए या अतिरिक्त व्यक्ति नियुक्त करेंगे, उसकी लिखित सूचना को पत्र द्वारा देना होगा।

MUNDESHWARI MULTICONSULT PVT. LTD.
PATNA

7. यह कि पक्षकारगण या उनके अधिकृत अभिकर्ता के समक्ष पैरोकार, वकालती, रसीदी या अपने अपने अंशों के संबंध में अन्तिम-अन्तो का समझौता या संबंध के लिखित व अलिखित लेख का उपयोग संयुक्त रूप से करेंगे. कोई भी पक्ष उपलेखित क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का विवाद निर्माण उत्पन्न नहीं करेगा. अन्यथा वह दायित्व व जिम्मेदार होगा।

8. यह कि संयुक्त कार्यालय में उक्त व्यवस्था हेतु दोनों के साझेदार पैरोकार तथा मोहर्रिर आदि अपने लिये भी अन्य अन्य अंशों पर संयुक्त रूप से कार्य करेंगे. पक्षकार दोनों का संयुक्त कार्यालय को अपने अपने अंशों की दर पर देय होगा. किसी प्रकार का हेरफेर किसी पक्ष को नहीं है

9. यह कि संयुक्त कार्यालय की संयुक्त जिम्मेदारी के पश्चात पक्षकार संयुक्त कार्यालय को स्वतंत्र रूप से अपना अपना अपने अपने अंशों के अनुरूप चलाते रहेंगे.

10. यह कि पक्षकारगण को एक दूसरे के बारे अपने पक्ष में आने वाले डिक्रीदार व एक्जीक्यूशन पार्टियों पर पक्षकारगण, मैसर्स. वल्लभ आदि अपने अपने पक्षकार के लाभार्थ जारी या की दावे करेंगे।

11. यह कि द्वितीय पक्ष को प्रतिवाद डिक्रीदार व एक्जीक्यूशन आप, जैसा उपरोक्त कथन किया है. जो प्रथम पक्ष को देय होगा उस भाग को द्वितीय पक्ष चुकाए. संयु. जिलों व फर्दबंदान कार्यालयिक मार्फत. दीवार लाईन. दिवानी, फौजदारी डिक्रीदारों की सारा कराकर जो कुछ धन पक्ष पक्ष को मिलेगा उस हिसाब जिस अनुपात में डिक्रीदार देय होगा. द्वितीय पक्ष उस अनुपात में प्रथम पक्ष को कमीशन देय व अदा करेगा।

12. यह कि द्वितीय पक्ष को अनुपात, पत्र की डिक्रीदार के अनुसार प्राप्त अपने अंशों का अपने साझेदारों के साथ में समझौता किया अनुसार जो कोर्ट अनुपात में प्रथम पक्ष को देय होगा. द्वितीय पक्ष को प्राप्त अधिकार प्रथम पक्ष को कोई अधिकार नहीं होगा. द्वितीय पक्ष के प्राप्त अधिकार के संबंध में प्रथम पक्ष किसी प्रकार का दावा नहीं करेगा।

13 यह कि द्वितीय पक्ष विभाग, दावों की वसूली आदि अपनी ओर से नियुक्त करे. उसके आगे कार्यों का पूर्ण अधिकार होगा. किसी विवाद उत्पन्न पक्ष को कोई अधिकार नहीं होगा.





14. यह कि यदि द्वितीय पक्ष द्वारा विलेख करने वाले को दीवानी प्रकृति की वाद से कोई अन्य कार्यवाही अथवा होकर किसी प्रकार की कार्यवाही संस्थित कर दे, जिस कारण द्वितीय पक्ष द्वारा कार्य पूर्ण करना सम्भव न हो सके या उस वाद के लंबित रहने को किसी प्रकार की अनुपयोगी हो या लंबित रहने से अलग एक लिखित आगे ऐसी परिस्थिति में प्रथम पक्ष की जिम्मेदारी होगी कि वह उपलब्ध विधिक साक्षी को साथ ले जा कर सह-स्वामी मुक्ति-समझौता पत्र विलेख का निष्पादन करें अन्यथा उस वाद की लंबित होने वाली अवधि की वर्षि पूरी होने के उपरांत ही करें. इसमें द्वितीय पक्ष का कोई लाभ सम्भव न होगा.

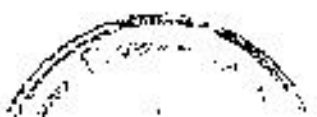
15. यह कि संयुक्त संपत्तियों के संबंध में सम्बन्धित अनुसूची की रूप में संलग्न की जा रही है. जो सम्बन्धित के पक्षियों व चतुर्थ सीमाओं पर आधारित होगा.

16 यह कि उक्त पत्र आपसी सहमति से 50 प्रतिशत हिस्सेदारी का होगा. इसकी शर्तें इसमें लिखित की प्रकार्य करार हैं. इसमें द्वितीय पक्ष आपसी 50 प्रतिशत का ही हक्कदार होगा.

17 यह कि उक्त लिखित में लगाये गए समस्त शर्तों का लेखा-जोखा का लिखित का अधिकार द्वितीय पक्ष रखे रहेगा। इसमें प्रथम पक्ष का कोई हस्तक्षेप न स्वीकार्य नहीं होगा और न ही लिखित में उल्लिखित शर्तों का प्रथम पक्ष से कोई उल्लंघन न अधिकार होगा।

18 यह कि उक्तवर्णित वाद के तथ्यों व शर्तों के अतिरिक्त प्रथम पक्ष द्वारा कोई सहमति दी किसी रूप तथा का निर्णय लिया जाता है. तो उसका विधिक परिणाम व प्रभाव द्वितीय पक्ष पर नहीं होगा. तथा अतिरिक्त प्रथम पक्ष के उक्त का उत्तरदायी होगा.

19 यह कि विधिक लिखित के संबंधित संबंध लेखकों का अतिरिक्त की व्यवस्था हेतु वाद संस्थित की जाती है. तो उक्त वाद का निर्णय होने तक द्वितीय पक्ष द्वारा किसी प्रकार की अनुपयोगी हो या उक्त वाद के लंबित रहने से अलग एक लिखित आगे ऐसी परिस्थिति में प्रथम पक्ष की जिम्मेदारी होगी कि वह उपलब्ध विधिक साक्षी को साथ ले जा कर सह-स्वामी मुक्ति-समझौता पत्र विलेख का निष्पादन करें अन्यथा उस वाद की लंबित होने वाली अवधि की वर्षि पूरी होने के उपरांत ही करें. इसमें द्वितीय पक्ष का कोई लाभ सम्भव न होगा.



20. यह कि प्रस्तावित भवन निर्माण के उपरान्त तथा तक प्रस्तावित भवन के लोगों जैसे कर्मचारी आदि हेतु पर्याप्त सोसायटी के गठन उपरान्त एक सोसायटी का निर्माण कर प्रस्तावित तकनीकियों जैसे वर्षा के पानी स्वच्छ-पानी, फॉगर सिस्टम पूरा पानी, दरवाजे आदि की व्यवस्था आदेश सोसायटी को संचालन होगी तब तक पक्षकारगण संयुक्त रूप से आवेदक सोसायटी नहीं संचालन होगी तब तक पक्षकारगण संयुक्त रूप से आवेदक जिम्मेदारियों का निर्वहन सोसायटी अधिनियम के प्रावधानों के तहत करते रहेंगे।

21. यह कि विवेचनाकर्ता पटना उच्च न्यायालय निर्णय से अवगत कराने की दया करें मुकदमे के पहले इसकी जानकारी लिखित रूप से प्रदान नहीं की गयी थी। निर्णय से मुकदमा की तैयारी में लगने वाले समय के बारे में अवगत कराने का अधिकार प्रथम पक्ष को है। निर्णय के बाद से मुकदमा के समाप्त होने तक समझौते के प्रयास पर कोई रोक नहीं है। मुकदमा समाप्त होने पर कानूनी खर्च को वहन करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा इसमें द्वितीय पक्ष को कोई आपत्ति नहीं होगी। प्रथम पक्ष को पक्ष स्वीकार है।

सहमति

मुकदमे का कितना 50 प्रतिशत मुफ्त लिखित पहली सिवाय :-
मुकदमे के लिखने का संक्षिप्त आवेदनपत्रक एवं सहमतिपत्र का विवरण :

1. पक्षकारगण आपसी लिखित समझौते के अनुसार
2. मुकदमा सारणीकरण हेतु
3. लिखित वर्ष प्रथम श्रेणी का जैसे कि लिखित लेखन की धारा (1)(b)
4. धारा आपसी समझौते के (1½ 3) और
   तब मुकदमा प्रक्रियाओं के प्रावधान की अनुसार लेखन होगा
5. पक्षों सभी आवेदन को दिए गए पक्ष को पक्ष को तब नहीं होगा
6. पक्षकारगण लिखित लिखित पक्ष का लिखित पक्ष के
   लिखित का लिखित पर POP/Distemper
7. दायित्व पक्षों का लेखन का पालनकर्ता लेखन तथा पूरा
   लगाइए पूरा छोड़ी से लिखित लगाया गया
8. लिखाई पक्षों का लेखन पक्षों के लिखाई लगा गया
   लिखने के लगा लगाइए लिखाई
9. कोई भी लिखित कुशिल-क्षेत्रफलों सहित लिखा लगा लिखा के से पक्ष
   लिखित पक्षकार लगाया गया से पक्ष लिखे।
10. मध्यस्थता लेखा पक्षों पक्षकारगण लेखन पक्षकारगण लगा पक्षों लिखाई से
    पक्षों लगाने लगाया पक्षों लगाया

11. शाइलेन्द्र अग्रवाल, केवल, इलेक्ट्रीसिटी अनलिमल, दुर्गापुरकेमल, अग्रवाल लिमल, इंडस्ट्रीज एवं आनन्दित्तल एवं अग्रवाल एवं अन्य अपना लिखित पक्ष करेंगे,

आज दिनांक 28.12.2018 को पक्षों के द्वारा निम्नांकित पत्रों के साथ अपना अपना लिखित पक्ष प्रस्तुत किया गया है:

वादीगण की ओर से:

प्रतिवादीगण की ओर से:

28/12/18

28/12/18

28/12/18

वादीगण

प्रतिवादीगण





Endorsement of Certificate of Admissibility

Admissible under Rule 5 : duly stamped (or exempted from or does not require stamp duty) under the Indian Stamp Act, 1899, Schedule I or I-A, No. 05. Also admissible under section 26(a) of the B. T. Act.

Stamp duty paid under Indian Stamp Act	Rs.	5920	Amt. paid by N.J. Stamp Paper -		Rs. 5000
Addl. Stamp duty paid under Municipal Act	Rs.		Amt. paid through Bank Challan		Rs. 1699

	Registration Fee						LLR + Process Fee		Service Charge
FEE PAID	A1	0 C	0 H1b	0 Kal	0 Ta	0	LLR	0	
	A8	0 D	0 H2	0 K1b	0 Tr	0	Proc Fee	0	350
	A9	0 DD	0 '	150 K1c	0 Mb	25	Total-	0	
	A10	0 E	250 J1	0 K2	0 Nb	54			
	II	0 H1a	0 J2	0 L	0				
					TOTAL	479			

Total amount paid (Reg. fee+LLR. Proc+Service Charge) in Rs. 779

Registering Officer
Patna

Date : 28/12/2010

Endorsement under section 52

Presented for registration at Registration Office, Patna on Tuesday, 28th December 2010 by Asha Devi W/O-Sri Vikash Kumar by profession Others, Status - Executant

आशा देवी
28-12-2010

Signature / L.T.I. of Presentant Date : 28/12/2010

Registering Officer
Patna

Endorsement under section 58

Execution is admitted by those executants and identified by the person (identified by Shashi ranjan Kumar age Sex M son/daughter of S/O Dular Chand Prasad resident of Tehta Digha Pesuamalabad Jehanabad) whose names photographs, fingerprints and signatures are affixed as such on back page / pages of the instrument

Registering Officer
Patna

Date : 28/12/2010

Endorsement of Certificate of Registration under section 60

Registered at Registration Office Patna in Book No. 1 Volume No. 593 on page no. 376 - 386 for the year 2010 and stored in CD Volume No.CD-78 year: 2010. The document no. is printed on the front Page of the document

Registering Officer
Patna

Date : 28/12/2010

Token No.37287 Year - 2010 Sl.No. 36501 SCORE Ver. 2.1 Deed No. 20478 - NIC-6 Mar


भारतीय गैर न्यायिक
10000रु.
Rs.10000
10000रु.
Rs.10000
10000रु.Rs10000
हजार रुपये
RUPEES
TEN THOUSAND
10000रु.
Rs10000
भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL









पाँच सौ रुपये FIVE HUNDRED RUPEES

-2-

3. क्रेयधारिके का नाम एवं पता:

श्रीमती आशा देवी पति श्री [illegible] स्व० [illegible] कुमार [illegible] निवासी [illegible], थाना [illegible] जिला [illegible], पो० [illegible] भारतीय नागरिक।

4. [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] 2010 [illegible]

5. सम्पत्ति का विवरण:

[illegible] मौजा [illegible] खाता [illegible] प्लॉट [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] जिला [illegible]

100Rs.

१०० रु.

Rs 100

एक सौ रुपये

ONE HUNDRED RUPEES

[illegible] चौधरी बिहार सरकार

[illegible]

[illegible]

[illegible] 25 पैसा [illegible]

[illegible] है। [illegible]

[illegible]

0149/2004 दिनांक 14.9.2004 [illegible] विक्रय पत्र है [illegible]

[illegible]

[illegible]

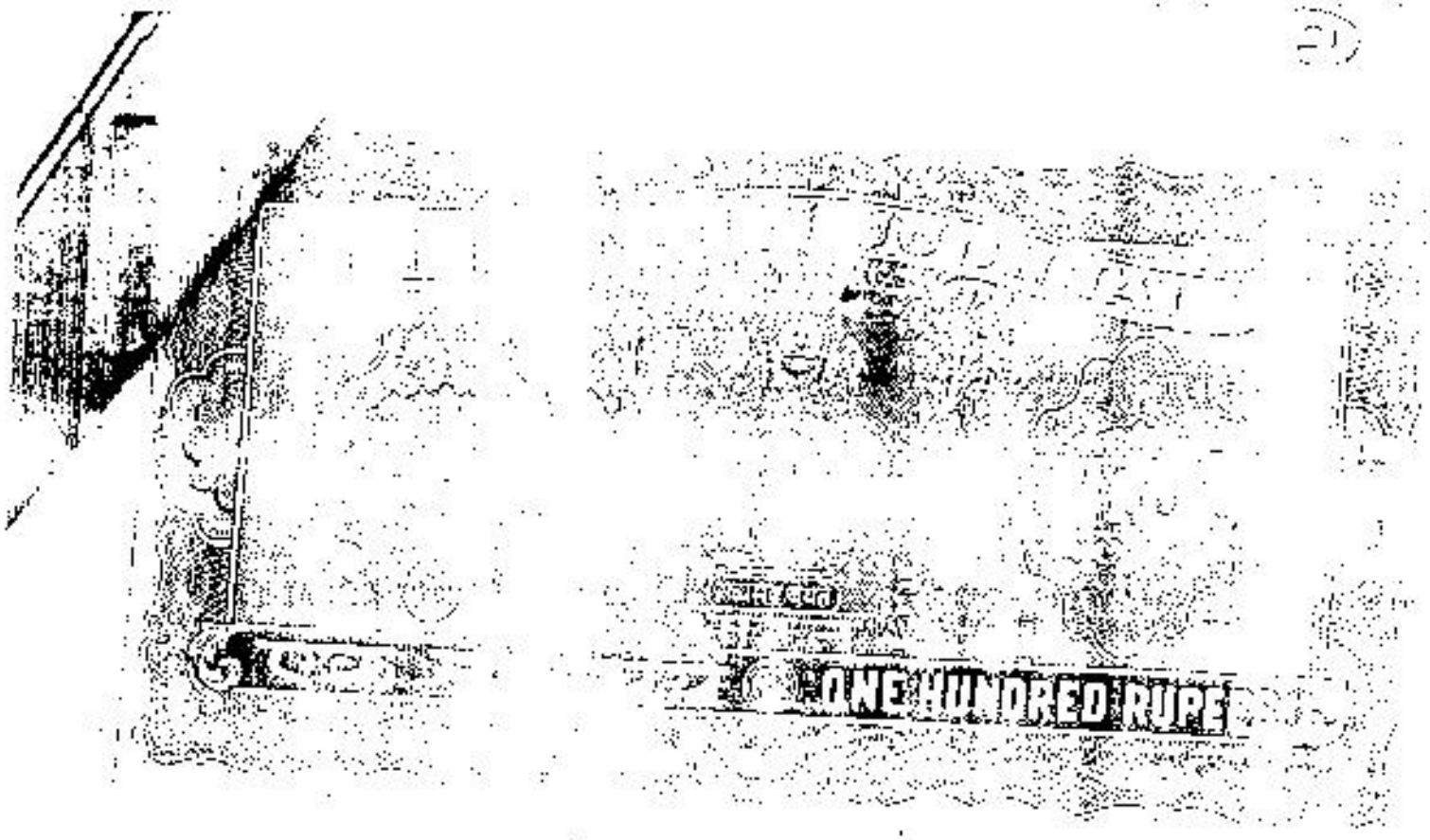
[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]




ONE HUNDRED RUPE


INDIA NON JUDICIAL
2005
Rs 100
एक सौ रुपये
ONE HUNDRED RUPEES





